मज़मूनों की फ़िहरिस्त

बाब १

शुरू के हुक्म

१—ऐक्ट का नाम। कहां कहां जारी होगा। और कब जारी होगा॥

२—तारीफ़ें॥

३—इस ऐक्ट का जारी कर देना॥

बाब २

गांव की अदालतों का क़ायम किया जाना और उनके ओहदेदारों का मुक़र्रर किया जाना वग़ैर:

४—गांव की अदालतों का क़ायम किया जाना॥

५—गांव के मुंसिफ़ का मुक़र्रर किया जाना॥

६—मुअत्तल या मौक़ूफ़ किया जाना गांव के मुंसिफ़ का॥

७—गांव की अदालत की कारवाई की मिसिल और उसके रजिस्टर॥

८—सम्मनों की और हुक्मों की तामील॥

बाब ३

अख़्तियार समाअत (नालिशें सुनने का अख़्तियार) और निज़ा फ़ैसलशुदा (निबटाये हुए झगड़े) और मियाद समाअत (नालिशों के दायर होने की मियाद)

९—नालिशें जो गांव के मुंसिफ़ सुन सकते हैं ॥

१०—जब दोनों फ़रीक़ राज़ी हों तो दो सौ रुपये तक की मालियत की नालिशों के सुनने का अख़्तियार ॥

११—अदालत जिसमें नालिश दायर की जायगी ॥

१२—ऐसी नालिश जिस से गांव के मुंसिफ़ को कोई ज़ाती ताल्लुक़ (लगाव) हो ॥

१३—निज़ा फ़ैसलशुदा (निबटाये हुए झगड़े) और ऐसी नालिशें जिनका फ़ैसला न हुआ हो ॥

१४—नालिश में पूरा दावा दाख़िल किया जायगा ॥

१५—इत्तिफ़ाक़ी फ़ैसला ऐसे मामिलो का जिनकी सुनाई गांव के मुंसिफ़ नहीं कर सकते हैं ॥

१६—नालिशों और दरख़ास्तों की मियाद ॥

१७—जो नालिशें गांव के मुंसिफ़ सुन सकते हैं उनको दीवानी की दूसरी अदालत भी जिसको अख़्तियार हो सुन सकती है ॥

१८—नालिशों का उठा लेना ॥

बाब ४

नालिशों की अरज़ियों का लिखा जाना और अदालत में दाख़िल किया जाना। सम्मनों का जारी किया जाना और फ़रीक़ों पर उनकी तामील (यानी फ़रीक़ों के पास सम्मनों का पहुंचाना)। मुक़दमे का मुलतवी होना और (किसी फ़रीक़ के) हाज़िर न होने के नतीजे

१९—नालिश अरज़ीदावा के दाख़िल होने से शुरू होगी
२०—अरज़ीदावा में क्या क्या बातें लिखी जांयगी ॥
२१—अरज़ीदावा की तरमीम (यानी अदल बदल या दुरुस्ती)
२२—अरज़ीदावा की नामंज़ूरी ॥
२३—अदालत में (मुद्दई और मुद्दालेह को) अपने आप
या मुख़्तार के ज़रिये से हाज़िर होना चाहिये ॥
२४—मुद्दालेह पर सम्मन की तामील किस तरह की जा-
यगी ॥
२५—तरीक़ा तामील का जब मुद्दालेह तामील से बचना
चाहे ॥
२६—तरीक़ा तामील का जब मुद्दालेह अदालत के हलक़े
से बाहर रहता हो ॥
२७—कारवाई का तरीक़ा उस हाल में जब मुद्दालेह
हाज़िर न हो। मुद्दालेह यह दावा कर सकता है कि
उसके पास नालिश का इत्तिलानामा ऐसे वक़्त पहुंचा
दिया जाय कि उसको सात दिन का वक़्त मिले ॥
२८—कारवाई का तरीक़ा उस हाल में जब मुद्दई हाज़िर
न हो और मुद्दालेह दावे को क़बूल न करे या जब
सम्मन की तामील मुद्दई के क़सूर से न हुई हो ॥
—कारवाई का तरीक़ा उस हाल में जब मुद्दई हाज़िर
न हो और मुद्दालेह दावे को क़बूल करे ॥
—वजह दिखलाने पर वह हुक्म जो दफ़ा २८ या दफ़ा
२९ के बमूजिब हो मंसूख़ कर दिया जायगा ॥
मंसूख़ी डिगरी यक तरफ़ा की जो ...

बाब ६

डिगरी का और डिगरी के जारी कराने व

३२—कोई डिगरी उस वक़्त तक मंसूख नहीं कीजायगी च तक दूसरे फ़रीक़ को इत्तिला न दे दी जाय ॥

बाब ५

नालिशों का सुना जाना। दस्तबरदारी (यानी दावे से हाथ उठाना) । या राज़ीनामा। और गवाहों की तलबी और उनकी गवाही का लिया जाना

३३—काररवाई का तरीक़ा उस हाल में जब दोनों फ़रीक़ हाज़िर हों ॥

३४—नालिश से दस्तबरदार होना (हाथ उठा लेना) ॥

३५—नालिश का फ़ैसला हलफ़ पर या इक़रार सालिह पर (यानी ऐसे इक़रार पर जिसको इक़रार करने वाला सच्चा बताये) कब हो सकता है ॥

३६—मुजराई (यानी मुद्दाअलेह का अपने किसी दावे को मुद्दई के दावे के मुक़ाबिले में पेश करना) ॥

३७—जो गवाह हाज़िर न होंगे वे तलब किये (बुलवाये) जायगे ॥

३८—गवाहों के नाम सम्मनों की तामील किस तरह होगी ॥

३९—सम्मन हाज़िरी और गवाही देने के लिये या दस्तावेज़ पेश करने के लिये होगा ॥

४०—बाज़े लोगों का असालतन (यानी आप) अदालत में हाज़िर होने से माफ़ होना ॥

४१—बन्द सवाल (वह काग़ज़ जिसमें लिख कर मुक़द्दमे के हाल पूछे जांय) कब जारी किया जायगा ॥

४२—गवाहों का इज़हार लिया जाना ॥

४३—मुलतवी किया जाना मुक़द्दमे का इस ख़याल से कि आपस में राज़ीनामा हो जायगा या किसी और वजह से ॥

बाब ६

डिगरी का और डिगरी के जारी करने का बयान

४४—जब (मुक़द्दमे की) समाअत (सुनाई) हो चुकेगी तो अदालत डिगरी देगी ॥

४५—डिगरी में क्या क्या लिखा जायगा ॥

४६—डिगरी में सूद अदा करने का हुक्म या यह हुक्म दिया जा सकता है कि डिगरी का रुपया क़िस्तों में अदा किया जाय ॥

४७—कौन सी अदालत डिगरी का इजरा कर सकती है ॥

४८—किसी ख़ास जायदाद मनक़ूला की डिगरी किस तरह जारी की जायगी ॥

४६—जो रुपया डिगरी या किसी और निपटाव के बमूजिब देना हो वह गांव के मुंसिफ़ के सामने दे दिया जायगा या अगर डिगरी का कोई और फ़ैसला (निपटाव) हो तो वह गांव के मुंसिफ़ के सामने लिख दिया जायगा ॥

५०—कोई डिगरी का देनदार पकड़ा नहीं जायगा। न ग़ैर-मनक़ूला जायदाद कुर्क़ की जायगी ॥

५१—जायदाद मनक़ूला की कुर्क़ी ॥

५२—जब जायदाद डिगरी के देनदार के क़ब्ज़े में हो तो उसकी कुर्क़ी किस तरह की जायगी ॥

६५—डिगरी इजरा के लिये एक गांव के मुंसिफ़ के पास से दूसरे गांव के मुंसिफ़ या ज़िले के मुंसिफ़ के पास, भेजी जा सकती है ॥

६६—जज ज़िला को अख़्तियार है कि किसी डिगरी के इजरा का मुक़दमा उठा ले ॥

६७—गांव का मुंसिफ़ ऐसी डिगरी की बाबत दरख्वास्त मंज़ूर न करेगा जो ज़िले के मुंसिफ़ की अदालत में भेजी गई हो या जिसको जज ने उठा लिया हो ॥

बाब ७

मुतफ़र्रिक़ बातें

६८—अगर किसी मुक़दमे के फ़रीक़ के मरने के बाद दरख्वास्त कीजाय तो उस मरे हुए शख़्स के जायज़ क़ायम मुक़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) का नाम मिसिल में दाखिल हो सकता है ॥

६९—अगर कोई दरख्वास्त पेश न की जाय तो नालिश डिसमिस कर दी जायगी ॥

७०—अगर एक से ज़्यादा मुद्दई या मुद्दालेह हों तो नालिश ज़िन्दा मुद्दई या मुद्दालेह की दरख्वास्त पर या उसके मुक़ाबिले में क़ायम रहेगी ॥

७१—अगर डिगरीदार मर जाय तो उसके जायज़ क़ायम मुक़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) का नाम उसकी जगह क़ायम हो सकता है ॥

५३—अगर जायदाद डिगरी के देनदार के क़ब्ज़े में न हो तो उसकी कुर्क़ी किस तरह की जायगी ॥

५४—क़रज़े कैसे कुर्क़ किये जायंगे ॥

५५—कुर्क़ी के बाद किसके तौर पर जायदाद का मुआहिदा कर देना नाजायज़ होगा ॥

५६—ऐसे दावों की तहक़ीक़ात जो कुर्क़ की हुई जायदाद की बाबत हों ॥

५७—कुर्क़ की हुई जायदाद का ऐसी तारीख़ पर नीलाम होगा जो कुर्क़ी की तारीख़ से कम से कम पन्द्रह दिन बाद हो और नीलाम का इश्तिहार दिया जायगा और ढिंढोरा पिटवाया जायगा ॥

५८—नीलाम का तरीक़ा ॥

५९—नीलाम के मुलतवी करने का अख़्तियार ॥

६०—गांव के मुंसिफ़ और दूसरे ओहदेदार कुर्क़ की हुई जायदाद के नीलाम में बोली न बोलेंगे न उसको ख़रीदेंगे ॥

६१—मौक़ूफ़ किया जाना नीलाम का जब क़रज़े का रुपया और ख़रचा पेश किया जाय ॥

६२—नीलाम का रुपया किस किस काम में आयेगा ॥

६३—जो जायदाद क़ब्ज़े में लेली जाय वह नीलाम के ख़रीदार को देदी जायगी ॥

६४—दूसरी सूरतों में जायदाद किस तौर से ख़रीदार को दी जायगी ॥

६५—डिगरी इजरा के लिये एक गांव के मुंसिफ़ के पास से दूसरे गांव के मुंसिफ़ या ज़िले के मुंसिफ़ के पास, भेजी जा सकती है ॥

६६—जज ज़िला को अख़्तियार है कि किसी डिगरी के इजरा का मुक़दमा उठा ले ॥

६७—गांव का मुंसिफ़ ऐसी डिगरी की बाबत दरख़ास्त मंज़ूर न करेगा जो ज़िले के मुंसिफ़ की अदालत में भेजी गई हो या जिसको जज ने उठा लिया हो ॥

बाब ९

मुतफ़र्रिक़ बातें

६८—अगर किसी मुक़दमे के फ़रीक़ के मरने के बाद दरख़ास्त कीजाय तो उस मरे हुए शख़्स के क़ायम मु-क़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) का नाम मिसिल में दा-ख़िल हो सकता है ॥

६९—अगर कोई दरख़ास्त पेश न की जाय तो नालिश डि-समिस कर दी जायगी ॥

७०—अगर एक से ज़्यादा मुद्दई या मुद्दालेह हों तो ना-लिश ज़िन्दा मुद्दई या मुद्दालेह की दरख़ास्त पर या उसके मुक़ाबिले में क़ायम रहेगी ॥

७१—अगर डिगरीदार मर जाय तो उसके क़ायम मु-क़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) का नाम उसकी जगह क़ायम हो सकता है ॥

७२—अगर डिगरी का देनदार मर जाय तो डिगरी उसके जायज़ क़ायम मुक़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) पर जारी कीजा सकती है ॥

७३—जज ज़िला के यहां गांव की अदालत की कारवाइयों की निगरानी ॥

७४—रसूम जो इस ऐक्ट के बमूजिब लीजायगी ॥

७५—डाक का महसूल ॥

७६—गवर्नमेंट का अख़्तियार नमूनों और नक़्शों और क़ायदों के मुक़र्रर करने का और जज ज़िला का अख़्तियार काग़ज़ात के मुआइने का ॥

७७—गवर्नमेंट क़ायदे बना सकती है ॥

७८—किसी ज़िले या हलक़े में से इस ऐक्ट को उठा लेना और हलक़ों की हदों का बदलना ॥

७९—जब किसी ज़िले या हलक़े से यह ऐक्ट उठा दिया जाय तो उन नालिशों का तसफ़ीया क्योंकर होगा जो फ़ैसल न हुई हों ॥

८०—मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी और मुफ़स्सिलात के ऐक्ट अदालतहाय मतालिबा ख़फ़ीफ़ा और ऐक्ट रसूम अदालत का मुतअल्लिक़ न होना ॥

ज़मीमा

बाज़ी नालिशों की मियाद समाअत (यानी वह मियाद जिसके अन्दर सुनी जा सकती है) ॥

ऐक्ट नम्बर ३ बाबत सन्
१८९२ ई०

जारी किया हुआ जनाब नव्वाब लेफ़्टिनेंट गवर्नर बहादुर मुमालिक मग़रबी व शिमाली (पश्चिमोत्तर देश) व अवध बइजलास कौंसिल का ॥

[जो १० नवम्बर सन १८९२ ई० को जनाब नव्वाब लेफ़्टि-नेंट गवर्नर बहादुर मुमालिक मग़रबी व शिमाली (पश्चिमोत्तर देश) व अवध ने मंज़ूर किया और १४ फ़र्वरी सन् १८९३ ई० को जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर ने मंज़ूर किया] ॥

[ऐक्ट वास्ते क़ायम करने गांव की अदालतों के मुमालिक मग़रबी व शिमाली (पश्चिमोत्तर देश) और अवध में]

चूंकि यह मुनासिब है कि मुमालिक मग़रबी व शिमाली (पश्चिमोत्तर देश) और अवध में गांव की अदालतें मुक़र्रर की जायं इस लिये नीचे लिखे हुए हुक्म क़ानून के जारी किये जाते हैं—

बाब १

शुरू के हुक्म

दफ़ा १—(१) इस ऐक्ट का नाम "मुमालिक मग़रवी व शिमाली (पश्चिमोत्तर देश) और अवध गांव की अदालतों का ऐक्ट सन् १८ ई०" होगा।

ऐक्ट का नाम। कहां कहां जारी होगा। और कब से जारी होगा

(२) यह ऐक्ट उस सारे मुल्क से ताल्लुक़ रक्खे जो उस वक़्त में जब यह ऐक्ट जारी किया जाय मुमालिक मग़रवी व शिमाली के नव्वाब लेफ़्टिनेंट गवर्नर और मुल्क अवध के चीफ़ कमिश्नर बहादुर की हुकूमत में हो। और

(३) यह ऐक्ट फ़ौरन जारी हो जायगा॥

दफ़ा २—अगर मज़मून से या इबारत के ढंग से कोई और बात न पाई जाय तो इस ऐक्ट में और उन क़ायदों में जो उसके बमूजिब बनें-

तारीफ़ें

(१) "मौज़ा" से मतलब हर ऐसी जगह है जो उस ज़िले के माल के काग़ज़ों में जहां वह हो गांव या मौज़ा के तौर पर लिखी गई हो। मगर उसमें कोई ऐसी जगह दाख़िल नहीं है जो किसी म्युनिसिपैलिटी की हद के अन्दर हो या जहां ऐक्ट २० सन् १८५६ ई० जारी हो।

(२) "गांव के मुंसिफ़" से मतलब ऐसी गांव की अदालत का हाकिम है जो इस ऐक्ट के बमूजिब क़ायम हुई हो।

(३) "कलक्टर" से मतलब ज़िले के उस बड़े हाकिम से है जिसको उस ज़िले का माल का इन्तिज़ाम सिपुर्द हो जिसमें वह गांव की अदालत हो।
(४) "जज ज़िला" से मतलब ज़िले के उस जज से और "ज़िले के मुंसिफ़" से मतलब उस मुंसिफ़ से है जो ऐक्ट १२ सन् १८८० ई० या ऐक्ट १३ सन् १८०६ ई० के बमूजिब मुक़र्रर किया गया हो और जिसके इलाक़े की हद के अन्दर वह गांव की अदालत हो।
(५) "हलक़ा" से मतलब उस इलाक़े से है जिसके अन्दर कोई गांव का मुंसिफ़ अपना इख़्तियार वर्ते।
(६) "जायदाद ग़ैर मनक़ूला" में यह सब चीज़ें दाख़िल हैं यानी ज़मीन और इमारतें और रास्ते का या रोशनी का या घाट का या मछली पकड़ने का हक़ या किसी और फ़ायदे का हक़ जो ज़मीन से पैदा होने वाला हो और वे चीजें जो ज़मीन से लगी हुई हो या ऐसी चीज़ से मुस्तक़िल तौर से लगादी या बांध दी गई हो जो ज़मीन से लगी हुई हो। मगर उसमें ऐसी फ़सिल जो उग रही हो या घास दाख़िल नहीं है।
(७) "जायदाद मनक़ूला" से मतलब हर क़िस्म की जायदाद से है सिवाय जायदाद ग़ैरमनक़ूला के॥
(८) "चौकीदार" से मतलब ऐसा गांव का चौकीदार है जो मुमालिक मग़रबी व शिमाली के ऐक्ट पुलीस देहात व सड़क नम्बर १६ सन् १८०३ ई० या अवध के क़ानूनों के ऐक्ट नम्बर १८ सन् १८०६ ई० के बमूजिब मुक़र्रर हो॥

दफ़ा ३—गवर्नमेंट को अख़्तियार है कि सरकारी गज़ट में इश्तिहार छापकर इस ऐक्ट को किसी ज़िले में या ज़िले के किसी हिस्से में जारी कर दे

इस ऐक्ट का जारी कर देना

बाब २

गांव की अदालतों का क़ायम किया जाना और उनके ओहदेदारों का मुक़र्रर किया जाना वग़ैरः

दफ़ा ४—गवर्नमेंट सरकारी गज़ट में इश्तिहार छाप कर—

गांव की अदालतों का क़ायम किया जाना

(१) उस ज़िले या हिस्से ज़िले के जिसमें यह ऐक्ट जारी कर दिया गया हो ऐसे हलक़े बनायेगी जो एक एक मौज़े के या कई कई मौज़ों के या कई मौज़ों के हिस्सों के होंगे। और गवर्नमेंट को अख़्तियार है कि

(२) ऐसे हर हलक़े में एक अदालत गांव की उसी के लिये क़ायम करे। ॥

जो गांव की अदालत इस तरह क़ायम हो उसका इजलास गांव का मुंसिफ़ अपने हलक़े के भीतर जहां चाहे करे ॥

दफ़ा ५—गांव के मुंसिफ़ों को कलक्टर उन क़ायदों के मुताबिक़ जो इस ऐक्ट के बमूजिब बनें मुक़र्रर करेगा और वे इस क़दर मियाद तक गांव के मुंसिफ़ रहेंगे जो मुक़र्रर कीजाय।

गांव के मुंसिफ़ का मुक़र्रर किया जाना

मगर कोई ऐसा शख़्स जो उस हलक़े के अन्दर न रहता हो जिसके लिये गांव की अदालत क़ायम की गई हो उसका मुंसिफ़ मुक़र्रर नहीं किया जा सकता है ॥

मुअत्तल या मोक़ूफ़ किया जाना गांव के मुंसिफ़ का

दफ़ा ६—कलक्टर को अख़्तियार है कि ऐसी तहक़ीक़ात करके जो ज़रूरी हो और अपनी किस्मत के कमिश्नर की लिखी हुई मंज़ूरी लेकर अपने लिखे हुए हुक्म से किसी गाव के मुंसिफ़ को नालायकी या काम में ग़फ़लत या बदचलनी की वजह से या किसी और मुनासिब और काफ़ी वजह से मुअत्तल या मोक़ूफ़ करदे ॥

जब ऐसी ही वजहें किसी गाव के मुंसिफ़ की अदालती कारवाई से ज़ाहिर हो और जज ज़िला हुक्म दे तो कलक्टर को लाज़िम होगा कि उस गाव के मुंसिफ़ को मुअत्तल या मोक़ूफ़ करे ॥

गांव के मुंसिफ़ की मुअत्तली या मोक़ूफ़ी के हर हुक्म का अपील उस हुक्म की तारीख़ से तीन महीने के अन्दर गवर्नमेंट के हुज़ूर में किया जा सकता है ॥

गांव की अदालत की कारवाई की मिसिल और उसके रजिस्टर

दफ़ा ७—गाव के मुंसिफ़ को लाज़िम है कि फारसी या देवनागरी ख़त में अपनी अदालत की कारवाई की मिसिल रक्खा करे। और एक या कई रजिस्टर इस गरज़ से रक्खे कि उनमें—(१) वह नालिशें जो दायर हों चढ़ाई जाय। और (२) इजराय डिगरी की दरख़्वास्तें ...

दफ़ा ३—गवर्नमेंट को अख़्तियार है कि सरकारी गज़ट में इश्तिहार छापकर इस ऐक्ट् को किसी ज़िले में या ज़िले के किसी हिस्से में जारी कर दे

इस ऐक्ट् का जारी कर देना

बाब २

गांव की अदालतों का क़ायम किया जाना और उनके ओहदेदारों का मुक़र्रर किया जाना वग़ैरः

दफ़ा ४—गवर्नमेंट सरकारी गज़ट में इश्तिहार छाप कर—

गांव की अदालतों का क़ायम किया जाना

(१) उस ज़िले या हिस्से ज़िले के जिसमें यह ऐक्ट् जारी कर दिया गया हो ऐसे हलक़े बनायेगी जो एक एक मौज़े के या कई कई मौज़ों के या कई मौज़ों के हिस्सों के होंगे। और गवर्नमेंट को अख़्तियार है कि

(२) ऐसे हर हलक़े में एक अदालत गांव की उसी के लिये क़ायम करे। ॥

जो गांव की अदालत इस तरह क़ायम हो उसका इजलास गांव का मुंसिफ़ अपने हलक़े के भीतर जहां चाहे करे ॥

दफ़ा ५—गांव के मुंसिफ़ों को कलक्टर उन क़ायदों के माफ़िक़ जो इस ऐक्ट् के बमूजिब बनें मुक़र्रर करेगा और वे उस क़दर मियाद तक गांव के मुंसिफ़ रहेंगे जो मुक़र्रर कीजाय।

गांव के मुंसिफ़ का मुक़र्रर किया जाना

मगर कोई ऐसा शख़्स जो उस हलक़े के अन्दर न रहता हो जिसके लिये गांव की अदालत क़ायम की गई हो उसका मुंसिफ़ मुक़र्रर नहीं किया जा सकता है ॥

मुअत्तल या मौक़ूफ़ किया जाना गांव के मुंसिफ़ का

दफ़ा ६—कलक्टर को अख़्तियार है कि ऐसी तहक़ीक़ात करके जो ज़रूरी हो और अपनी क़िस्मत के कमिश्नर को लिखो हुई मंज़ूरी लेकर अपने लिखे हुए हुक्म से किसी गांव के मुंसिफ़ को नालायक़ी या काम में ग़फ़लत या बदचलनी की वजह से या किसी और मुनासिब और काफ़ी वजह से मुअत्तल या मौक़ूफ़ करदे ॥

जब ऐसी ही वजहें किसी गांव के मुंसिफ़ की अदालती कारखाई से ज़ाहिर हों और जज ज़िला हुक्म दे तो कलक्टर को लाज़िम होगा कि उस गांव के मुंसिफ़ को मुअत्तल या मौक़ूफ़ करे ॥

गांव के मुंसिफ़ की मुअत्तली या मौक़ूफ़ी के हर हुक्म का अपील उस हुक्म की तारीख़ से तीन महीने के अन्दर गवर्नमेंट के हुज़ूर में किया जा सकता है ॥

गांव की अदालत की कारखाई की मिसिल और उसके रजिस्टर

दफ़ा ७—गांव के मुंसिफ़ को लाज़िम है कि फ़ारसी या देवनागरी ख़त में अपनी अदालत की कारखाई की मिसिल रक्खा करे। और एक या कई रजिस्टर इस तरह से रक्खे कि उनमें—(१) वह नालिशें जो दायर हों चढ़ाई जाय। और (२) इजराय डिगरी की दरख़ास्तें चढ़ाई जाय ॥

गांव के मुंसिफ़ को अख़्तियार है कि कारवाई की मिसिल और रजिस्टर या रजिस्टरों को या तो आप लिखे या किसी और शख़्स से जो इस काम के लिये मुक़र्रर किया गया हो ख़ास अपनी निगरानी में लिखवाये। मगर कोई शख़्स बग़ैर मंज़ूरी कलक्टर के आम तौर से इस काम के लिये मुक़र्रर नहीं किया जायगा ॥

सम्मनों की और हुक्मों की तामील

दफ़ा ८—गांव के मुंसिफ़ को अख़्तियार है कि अपने हलक़े के किसी मौज़े के चौकीदार को या किसी और शख़्स को इस काम पर मुक़र्रर करे कि वह उन सम्मनों और नोटिसों (इत्तिला नामों) की तामील करे जो इस ऐक्ट के बमूजिब जारी किये जांय और गांव के मुंसिफ़ के उन हुक्मों को तामील करे जो उस जायदाद मनक़ूला को अपने क़ब्ज़े में लाने और नीलाम करने और हवाले करने (देदेने) के लिये हों जिसकी क़ुर्क़ी इस ऐक्ट के बमूजिब की गई हो। मगर चौकीदार के सिवा और कोई शख़्स बग़ैर मंज़ूरी कलक्टर के आम तौर से इस काम के लिये मुक़र्रर नहीं किया जायगा ॥

यह काम चौकीदार के ज़िम्मे होगा कि ऐसे सम्मनों और नोटिसों (इत्तिलानामों) और हुक्मों को तामील करे जो उसको गांव का मुंसिफ़ इस दफ़ा के बमूजिब हवाले करे और दे ॥

बाब ३

अख़्तियार समाअत (नालिशें सुनने का अख़्तियार)। और निज़ा फ़ैसल शुदा (निवटाये हुए झगड़े)। और मियाद समाअत (नालिशों के दायर होने की मियाद)

दफ़ा ६—गाव के मुंसिफ़ नीचे लिखी हुई क़िस्मों की नालिशें सुन सकते हैं—यानी ऐसे दावे जो क़ौल क़रार पर नक़द रुपये की बाबत हो या जायदाद मनक़ूला की या उसकी मालियत की बाबत हों या ऐसे हरजे की बाबत हो जो माल मनक़ूला को बेजा तौर से लेने या उसको नुक़सान पहुंचाने की बाबत हो जबकि उस क़रज़े या दावे या हरजे की तादाद या मालियत बीस रुपये से ज़्यादा न हो॥

नालिशें जो गांव के मुंसिफ़ सुन सकते हैं

मगर नीचे लिखे हुए दावों की नालिशें किसी गाव की अदालत मे दायर न की जायगी —

(१) साझे के हिसाब की बाक़ी का दावा।

(२) जो चीज़ ऐसा शख़्स छोड़े जो बग़ैर वसीयत के मर जाय उसके हिस्से या हिस्से के हिस्से की बाबत। या ऐसी चीज़ या उसके हिस्से की बाबत जो कोई शख़्स वसीयत के ज़रिये से किसी को दे जाय।

(३) गवर्नमेंट की या सरकारी ओहदेदारों की तरफ़ से या गवर्नमेंट या सरकारी ओहदेदारों पर दावा उनके ओहदेदार सरकारी होने की हैसियत से।

(४) दावा नाबालिग़ों या पागलों की तरफ़ से उनके ऊपर।

(५) किसी ऐसे झगड़े या मामिले का दावा जिसकी बाबत कोई नालिश लगान और माल की अदालतों में की जा सकती है या कोई दरख़ास्त उन अदालतों में दी जा सकती है॥

दफ़ा १०—गांव के मुंसिफ़ को यह अख़्तियार है कि जब दोनों फ़रीक़ राज़ी हों तो दो सौ रुपये तक की मालियत की नालिशों के सुनने का अख़्तियार

जब दोनों फ़रीक़ इस बात का राज़ीनामा गांव मुंसिफ़ के सामने लिख दें तो उस क़िस्म की नालिशें जो दफ़ा ९ में लिखी हैं उस हालत में भी सुने और उनका फ़ैसला करे जब दावे की तादाद या मालियत दो सौ रुपये से ज़्यादा न हो॥

दफ़ा ११—जो हुक्म दफ़ा १२ में लिखे हैं उन की पाबन्दी से इस ऐक्ट की हर एक नालिश उस हलक़े को गांव की अदालत में दायर की जायगी जिस में नालिश के शुरू होने के वक़ सब मुद्दालेह रहते हों या कार व बार करते हों या अपने नफ़े के लिये आप काम करते हों॥

अदालत जिसमे नालिश दायर की जायगी

दफ़ा १२—कोई गांव का मुंसिफ़ किसी ऐसी नालिश की सुनाई और तजवीज़ न करेगा जिसमे वह ख़ुद फ़रीक़ हो या जिससे उसको कोई ज़ाती ताल्लुक़ (लगाव) हो। और ऐसी कारवाई की निस्बत जो ऐसी नालिश से ताल्लुक़ रखती हो या उससे पैदा हो कोई अदालती तहक़ीक़ात और तजवीज़ न करेगा

ऐसी नालिश जिससे गांव के मुंसिफ़ को कोई ज़ाती ताल्लुक़ (लगाव) हो

निज़ा फ़ैसल शुदा (निबटाये हुए झगड़े) और ऐसी नालिशें जिन का फ़ैसला न हुआ हो

दफ़ा १३—कोई गांव का मुंसिफ़ किसी ऐसी नालिश या बहस (झगड़े की बात) की तहक़ीक़ात और तजवीज़ न करेगा जो किसी ऐसे मामिले की बाबत हो जो मामिला किसी पहिली नालिश में उन्हीं फ़रीक़ों के दरमियान या ऐसे फ़रीक़ों के दरमियान जिनके ज़रिये से हाल के फरीक़ दावेदार हों किसी अदालत मजाज़ ने सुना हो और उस का फ़ैसला कर दिया हो या (अब) ऐसी अदालत की पेशी में हो ॥

समझाने की बात—जो फ़ैसला गांव का मुंसिफ़ दफ़ा १७ के बमूजिब इत्तिफ़ाक़ी फ़ैसले के तौर पर किसी ऐसे मामिले का करदे जिसकी बाबत किसी नालिश के फ़रीक़ों के दरमियान झगड़ा हो उस फ़ैसले की बाबत इस दफ़ा की गरज़ से यह समझा जायगा कि वह अदालत मजाज़ का फ़ैसला है। सिवाय उस हालत के कि ऐसे इत्तिफ़ाक़ी फ़ैसले के बाद गांव के मुंसिफ़ के सिवा किसी और अदालत मजाज़ ने उसी मामिले की सुनाई करके उस का फ़ैसला कर दिया हो ॥

नालिश में पूरा दावा दाखिल किया जायगा

दफ़ा १४—हर ऐसी नालिश में जो किसी गांव की अदालत में दायर की जायगी वह पूरा दावा दाखिल किया जायगा जिसके पेश करने का हक़ मुद्दई इस झगड़े के मामिले की निस्बत रखता हो। मगर मुद्दई को अख़्तियार है कि इस गरज़ से कि नालिश उस अदालत की सुनाई के लायक़ हो जाय अपने दावे का कोई हिस्सा छोड़ दे ॥

अगर मुद्दई अपने दावे के किसी हिस्से की बाबत नालिश न करे या जान बूझ कर उसको छोड़ दे तो फिर मुद्दई उस

हिस्से की बाबत जो इस तौर पर नालिश करने से रह गया हो या जिसका दावा मुद्दई ने छोड़ दिया हो और अलग नालिश न कर सकेगा ॥

दफ़ा १५—अगर किसी ऐसी नालिश का फ़ैसला करने मे जिस की सुनाई गांव का मुंसिफ़ कर सकता है इस बात की ज़रूरत पड़े कि किसी ऐसे मामिले का इत्तिफ़ाक़ी फ़ैसला कर दिया जाय जिसकी बाबत उस नालिश के फ़रीक़ों में झगड़ा हो और जो जाय-दाद ग़ैरमनक़ूला में हक़ की बाबत हो। या दोनों फ़रीक़ों में से किसी फ़रीक़ की क़ानूनी हैसियत की बाबत हो। या उन शख़्सों की क़ानूनी हैसियत की बाबत हो जिनके ज़रिये से हाल के फ़रीक़ दावेदार हों। या किसी क़ौल क़रार या ज़िम्मेदारी के होने या न होने की बाबत हो। और जो ऐसा हो कि अगर वह ना-लिश ख़ास उसी मामिले की बाबत होती तो इस ऐक्ट के बमू-जिब गांव का मुंसिफ़ उस को सुनाई न कर सकता। तो गांव के मुंसिफ़ को अख़्तियार है कि उस हक़ या क़ानूनी हैसियत या क़ौल क़रार या ज़िम्मेदारी की बाबत उस क़दर फ़ैसला कर दे जिस क़दर उस नालिश के फ़ैसले के लिये ज़रूर हो। मगर यह फ़ैसला किसी और नालिश या काररवाई में किसी ऐसी अदा-लत मे जो गांव की अदालत न हो—चाहे यह दूसरी नालिश या काररवाई भी उन्हीं पहिली नालिश वाले फ़रीक़ों या उनके क़ायम मुक़ामों के दरमियान हो—उस हक़ या क़ानूनी हैसियत या क़ौल क़रार या ज़िम्मेदारी का सबूत न होगा॥

इत्तिफ़ाक़ी फ़ैसला ऐसे मामिलों का जिनकी सुनाई गांव के मुंसिफ़ नहीं कर सकते हैं

नालिशों और दरख़्वास्तों की मियाद

दफ़ा १६—गांव का मुंसिफ़ कोई ऐसी नालिश या दरख़्वास्त (तजवीज़ और फ़ैसले के लिये) मंज़ूर न करेगा जो उस वक़्त से तीन बरस गुज़र जाने के बाद पेश की जाय जब पहिले पहिल नालिश या दरख़्वास्त के पेश करने का हक़ पैदा हुआ हो। जो नालिशें ज़मीमा मे (यानी उस नक़शे में जो इस ऐक्ट के आख़ीर में है) लिखी हैं उनके वास्ते ख़ास (यानी तीन बरस के सिवा और) मियादें मुक़र्रर हैं॥

जो नालिशें गांव के मुंसिफ़ सुन सकते हैं उनको दीवानी की दूसरी अदालत भी जिस को अख़्तियार हो सुन सकती है

दफ़ा १७—ऊपर की दफ़ाओं में चाहे कुछ ही लिखा हो तब भी यह बात हो सकती है कि जो नालिश गांव के मुंसिफ़ के सुनने और फ़ैसला करने के लायक हो वह किसी और ऐसी अदालत दीवानी में दायर की जाय जिस को उसके तजवीज करने का अख़्तियार हो और इस दूसरी अदालत में उसकी समाअत (सुनाई) की जाय॥

नालिशों का उठा लेना.

दफ़ा १८—ज़िले के मुंसिफ को अख़्तियार है कि उस वक़्त से पहिले जब दफ़ा ३३ के बमूजिब मुद्दा-लेह का जवाब किसी नालिश को बा-बत लिख लिया जाय या दाख़िल दफ़्तर किया जाय मुद्दई की दरख़्वास्त पर उस नालिश को गांव के मुंसिफ़ की अदालत से उठाले और अपने आप उसकी तहक़ीक़ात और तजवीज़ इस तरह करे जिस तरह इस नालिश के ख़ास अपनी अदालत मुंसिफ़ी मे दायर होने की हालत मे करता। नीचे लिखी हुई सूरतो मे ज़िले के मुंसिफ़ को लाज़िम है कि किसी नालिश को गांव की अदालत से उठाले ते। अगर

आप उसका फ़ैसला उस तरह करे जिस तरह उस नालिश के ख़ास अपनी अदालत मुंसिफ़ी में दायर होने की हालत में करता—

(१) जब कि मुद्दालेह उस नालिश का जवाब दफ़ा ३३ के बमूजिब लिखे जाने या दाख़िल होने से पहिले किसी वक़्त उस नालिश के उठा लेने की दरख़ास्त करे। या

(२) जब कि दोनों फ़रीक़ों में से किसी फ़रीक़ की दरख़ास्त पर जो किसी वक़्त उस नालिश का फ़ैसला होने से पहिले पेश हो ज़िले के मुंसिफ़ का यह इतमीनान हो जाय (इस बात से जी भर जाय) कि वह गांव का मुंसिफ़ उस नालिश का कोई फ़रीक़ है या उस से कुछ ताल्लुक़ (लगाव) रखता है॥

मगर यह बात ज़रूरी है कि जो फ़रीक़ यह दरख़ास्त करे कि कोई नालिश गांव की अदालत से उठाली जाय और उसकी तजवीज़ ज़िले का मुंसिफ़ करे उसको लाज़िम होगा कि नालिश उठाने का हुक्म होने से पहिले उतनी फ़ीस (रसूम या क़ीमत स्टाम्प की) देदे जो उस नालिश के अरज़ी दावा पर सन् १८७० ई० के ऐक्ट रसूम अदालत (नालिशों और दरख़ास्तों पर स्टाम्प लगाने के ऐक्ट) के बमूजिब देनी चाहिये॥

बाब ४

नालिशों की अर्ज़ियों का लिखा जाना और अदालत में दाखिल किया जाना। सम्मनों का जारी किया जाना और फ़रीकों पर उनकी तामील (यानी फ़रीकों के पास सम्मनों का पहुंचाना)। मुक़दमे का मुलतवी होना और (किसी फ़रीक़ के) हाज़िर न होने के नतीजे

दफ़ा १९—इस ऐक्ट के बमूजिब हर नालिश इस तरह दायर की जायगी कि अरज़ी दावा और उसकी उतनी नक़लें जितने कि मुद्दालेह हों गांव की अदालत में दाखिल की जांय। एक नक़ल अरज़ी दावा की सम्मन के साथ उन हुक्मों के मुताबिक़ हवाले की जायगी या लगा दी जायगी जो इस ऐक्ट में आगे लिखे हैं॥

नालिश अरज़ी दावा के दाखिल होने से शुरू होगी

दफ़ा २०—अरज़ी दावा फ़ारसी या देवनागरी हरफ़ों में लिखा जायगा और उस पर मुद्दई के दस्तख़त होंगे। अरज़ी दावा में नीचे लिखी हुई बातें होनी चाहियें—

अरज़ी दावा में क्या क्या बातें लिखी जायगी

(१) नाम और बाप का नाम और क़ौम (ज़ात) और पेशा वगैरः और रहने की जगह मुद्दई और मुद्दालेह की।

(२) साफ़ और मुख़्तसर हाल उस मामिले का जिसका झगड़ा हो। और यह कि वह कब पैदा हुआ।

(३) यह कि क्या दादरसी दरकार है (यानी मुद्दई क्या चाहता है)। और पूरी तादाद या मालियत दावे का।

दफ़ा २१—गांव के मुंसिफ़ को अख़्तियार है कि अपने आप

अरज़ी दावा की तरमीम (यानी अदल बदल या दुरुस्ती)

ही या मुद्दई की दरख़ास्त पर मुक़द्दमे की पहिली सुनाई के वक़्त या उससे पहिले किसी वक़्त उस हालत में अरज़ी दावा की तरमीम करे (यानी उसको अदल बदल या दुरुस्त करे) जब अरज़ी दावा में यह सब बातें ठीक ठीक तरह से न लिखी हों जिनके उस में लिखने का हुक्म है। या जब उस में यह मामिला जिसका झगड़ा हो या यह बात कि क्या दादरसी दरकार है (यानी मुद्दई क्या चाहता है) पूरे तौर से न लिखी हो। या जब उस पर मुद्दई के दस्तख़त न हों॥

दफ़ा २२—अगर अरज़ीदावा को देखने या मुद्दई से पूछ पाछ

अरज़ीदावा की नामंज़ूरी

करने के बाद गांव के मुंसिफ़ को यह मालूम हो कि नालिश ऐसी है जिसको वह नहीं सुन सकता है या उसके सुने जाने की मियाद गुज़र गई है तो गांव के मुंसिफ़ को लाज़िम होगा कि उस अरज़ीदावा के ऊपर हुक्म लिख कर उसको नामंज़ूर करदे॥

दफ़ा २३—(१) जो नालिश किसी गांव की अदालत में दायर

अदालत में (मुद्दई और मुद्दालेह को) अपने आप या मुख़्तार के ज़रिये से हाज़िर होना चाहिये

हुई हो उस के फ़रीक़ों को लाज़िम है कि अपने आप या मुख़्तार के ज़रिये से उस अदालत में हाज़िर हों और गांव के मुंसिफ़ के सामने अपने मुक़द्दमे की बहस करें। मगर गांव के मुंसिफ़ को अख़्तियार है कि जब वह इंसाफ़ की ग़रज़ से यह बात ज़रूरी समझे तो नालिश के किसी फ़रीक़ को यह हुक्म दे कि वह आप ही हाज़िर हो। और अगर वह फ़रीक़ [illegible]

हुक्म दिया जाय आप हाज़िर न हो तो उसके हक़ में वही नतीजे पैदा होंगे जो उस हालत में होते कि वह न तो अपने आप न मुख़्तार के ज़रिये से हाज़िर होता ॥

(२) लफ़्ज़ "मुख़्तार" से मतलब ऐसे नौकर या गुमाश्ते या कारिन्दे या शरीक या रिश्तेदार या दोस्त से है जिसको अदालत किसी एक फ़रीक़ की तरफ़ से काम करने लायक़ समझ कर उसका मुख़्तार होना मंज़ूर करे। और जिसको किसी आम या ख़ास लिखी हुई सनद के ज़रिये से उस फ़रीक़ की तरफ़ से हाज़िर होने और मुक़द्दमे में बहस करने की इजाज़त दी गई हो॥

(३) क़ानून पेशा लोगों (यानी वक़ीलों मुख़्तारों वग़ैरः) को गाव की अदालत में पैरवी करने की इजाज़त नहीं दी जायगी॥

दफ़ा २४—जब अरज़ीदावा ज़ाब्ते के माफ़िक़ दाख़िल हो जाय तो गाव का मुंसिफ़ उसको रजिस्टर में चढ़वायेगा और लिखे हुए सम्मन के ज़रिये से मुद्दालेह को यह हुक्म देगा कि जो तारीख सम्मन में मुक़र्रर हुई है उसपर हाज़िर हो और दावे की जवाबदिही करे। सम्मन की तामील मुद्दालेह की जात पर की जायगी और जो शख़्स इस काम के लिये दफ़ा ८ के बमूजिब मुक़र्रर किया जायगा वह एक नक़ल सम्मन की मय एक नक़ल अरज़ीदावा के मुद्दालेह को हवाले करेगा ॥

मुद्दालेह पर सम्मन की तामील किस तरह की जायगी

दफ़ा २५—अगर गाव के मुंसिफ़ का यह इत्मीनान हो जाय कि मुद्दालेह सम्मन की तामील से बचना चाहता है तो गाव के मुंसिफ़ को अख़्तियार है कि यह हुक्म दे कि उस सम्मन की तामील मुद्दालेह के ख़ान्दान के

तरीक़ा तामील का जब मुद्दालेह तामील से बचना चाहे

किसी पूरी उमर वाले मर्द पर जो उसके साथ रहता हो की जाय और एक नक़ल उसकी मय एक नक़ल अर्ज़ीदावा के उस पूरी उमर वाले मर्द को हवाले की जाय। या यह हुक्म दे कि एक नक़ल सम्मन की उस मकान पर जिसमें मुद्दालेह अक्सर रहता हो किसी ऐसी जगह जो सब को दिखलाई दे लगा दी जाय॥

तरीक़ा तामील का जब मुद्दालेह अदालत के हलक़े से बाहर रहता हो

दफ़ा २६—जब कभी इस बात की ज़रूरत पड़े कि सम्मन की तामील किसी मुद्दालेह पर उस गांव की अदालत के हलक़े के बाहर की जाय जिसमें नालिश दायर है तो—

(१) वह सम्मन उस हलक़े की गांव की अदालत में भेजा जायगा जिसमें मुद्दालेह रहता हो। या

(२) अगर मुद्दालेह किसी गांव की अदालत के हलक़े के अन्दर न रहता हो तो वह सम्मन उस ज़िले के मुंसिफ़ के पास भेजा जायगा जिसके इलाक़े के अन्दर मुद्दालेह रहता हो॥

गांव का मुंसिफ़ या ज़िले का मुंसिफ़ उस सम्मन के पाने पर उसकी तामील इस तरह से करायेगा जिस तरह उस हालत में कराता जब उसी (गाव के मुंसिफ़ या ज़िले के मुंसिफ़) ने उस को जारी किया होता। और फिर उस सम्मन को उसी गांव की अदालत में (जिसने सम्मन भेजा था) मय रिपोर्ट तामील के वापस भेज देगा। यह रिपोर्ट ज़ाहिरी सबूत इसका समझी जायगी कि जो बातें उसमें लिखी हैं वे सच हैं॥

दफ़ा २०—अगर कोई मुद्दालेह अपने आप या मुख़ार के ज़रिये से उस तारीख़ पर हाज़िर न हो जो (उस मुक़दमे में) मुक़र्रर की गई हो और अगर गांव के मुंसिफ़ को यह इतमीनान हो जाय कि सम्मन की तामील ज़ाब्ते के माफ़िक़ हो गई तो उस मुंसिफ़ को अख़्तियार है कि एकतरफ़ा कारवाई करे॥

कारवाई का तरीक़ा उस हाल में जब मुद्दालेह हाज़िर न हो। मुद्दालेह यह दावा कर सकता है कि उसके पास नालिश का इत्तिलानामा ऐसे वक़ पर पहुंचा दिया जाय कि उसको सात दिन का वक़ मिले

अगर गांव के मुंसिफ़ को यह इतमीनान न हो कि सम्मन की तामील ज़ाब्ते के माफ़िक़ हो गई तो उसको लाज़िम होगा कि नया सम्मन जारी करे।

हर एक मुद्दालेह यह दावा कर सकता है कि उसके पास ालिश का इत्तिलानामा ऐसे वक़ में पहुंचा दिया जाय कि उस पूरे सात दिन का वक़ मिल जाय। और अगर सम्मन की ील इस क़दर पहिले से न हो जाय कि मुद्दालेह को काफ़ी रस का मिले कि वह मुक़र्रर की हुई तारीख़ पर जवाब-दिही कर सके तो मुक़दमे की समाअत (सुनाई) किसी और अगली तारीख़ तक मुलतवी की जायगी और लिखी हुई इत्तिला उस तारीख़ की मुद्दालेह को दी जायगी।

दफ़ा २८—अगर उस तारीख़ पर जो मुद्दालेह की हाज़िरी के लिये मुक़र्रर हो—

कारस्वाई का तरीक़ा उस हाल में जब मुद्दई हाज़िर न हो और मुद्दालेह दावे को क़बूल न करे या जब सम्मन की तामील मुद्दई के क़सूर से न हुई हो।

(१) दोनों फ़रीक़ों में से कोई भी अदालत में हाज़िर न आये। या

(२) मुद्दई हाज़िर न हो और मुद्दालेह हाज़िर हो और दावे को क़बूल न करे। या

(३) सम्मन की तामील मुद्दई के क़सूर की वजह से न हुई हो और मुद्दालेह हाज़िर न हो।

तो नालिश डिसमिस (ख़ारिज) की जायगी सिवाय उस सूरत के कि गांव का मुंसिफ़ कोई और हुक्म दे॥

दफ़ा २९—अगर मुद्दई हाज़िर न हो मगर मुद्दालेह हाज़िर हो और पूरे दावे को या उसके कुछ हिस्से को क़बूल करे तो गांव की अदालत मुद्दालेह पर उसके इक़बाल के बमूजिब डिगरी करेगी॥

कारस्वाई का तरीक़ा उस हाल में जब मुद्दई हाज़िर न हो और मुद्दालेह दावे को क़बूल करे

वजह दिखलाने पर उस हुक्म का जो दफ़ा २८ या दफ़ा २९ के बमूजिब हो मंसूख़ किया जाना

दफ़ा ३०—जब कोई नालिश दफ़ा २८ की ज़िम्न (१) या ज़िम्न (३) के बमूजिब डिसमिस की जाय तो मुद्दई को अख़्तियार है कि नई नालिश दायर करे और अगर दफ़ा २८ की ज़िम्न (२) के बमूजिब नालिश के डिसमिस किये जाने की तारीख़ से या उस डिगरी की तारीख़ से जो दफ़ा २९ के बमूजिब दावे के फ़क़त कुछ हिस्से की बाबत हुई हो तीस दिन के अन्दर मुद्दई गांव के मुंसिफ़ का यह इतमीनान कर दे कि वह किसी काफ़ी वजह से हाज़िर न हो सका तो गांव के मुंसिफ़ को लाज़िम होगा कि उस डिसमिसी के हुक्म या डिगरी को मंसूख़ कर दे और कोई और तारीख़ उस नालिश में काररवाई होने के लिये मुक़र्रर करे॥

मंसूखी एकतरफ़ा डिगरी को जो मुद्दा-लेह पर हुई हो

दफ़ा ३१—हर ऐसे मुद्दालेह को जिस पर कोई डिगरी एकतरफ़ा हुई हो अख़्तियार है कि जिस तारीख़ को उस डिगरी के जारी होने के हुक्मनामे की तामील हो उससे तीस दिन के अन्दर गांव की अदालत में यह दरख़्वास्त दे कि वह डिगरी मंसूख़ कर दी जाय। और अगर गांव के मुंसिफ़ का यह इतमीनान हो जाय कि सम्मन या नोटिस की तामील ज़ाब्ते के माफ़िक़ नहीं हुई थी या यह इतमीनान हो जाय कि मुद्दालेह किसी काफ़ी वजह से हाज़िर न हो सका तो गांव के मुंसिफ़ को लाज़िम होगा कि उस डिगरी को मंसूख़ कर दे और कोई तारीख़ उस नालिश में काररवाई के लिये मुक़र्रर करे॥

दफ़ा ३२—ऐसी दरख़ास्त पर जो दफ़ा ३० या दफ़ा ३१ के बमूजिब दी जाय कोई डिगरी उस वक़्त तक मंज़ूर नहीं की जायगी जब तक दूसरे फ़रीक़ पर नोटिस (इत्तिलानामा) की तामील न हो जाय ॥

कोई डिगरी उस वक़्त तक मंज़ूर नहीं की जायगी जब तक दूसरे फ़रीक़ को इत्तिला न दी जाय

बाब ५

नालिशों का सुना जाना। दस्तबरदारी (यानी दावे से हाथ उठाना) या राज़ीनामा और गवाहों की तलबी और उनकी गवाही का लिया जाना

दफ़ा ३३—जब मुद्दालेह हाज़िर हो तो गांव का मुंसिफ़ उससे पूछेगा कि तुम उस दावे को जो अर्ज़ीदावा में है क़बूल करते हो या नहीं। अगर मुद्दालेह उस दावे को क़बूल करे या अगर मुक़दमे में राज़ीनामा हो जाय तो इक़बाल या रज़ामन्दी लिख ली जायगी और उस पर दोनों फ़रीक़ों के दस्तख़त कराये जायंगे और गांव का मुंसिफ़ उसके मुताबिक़ डिगरी देगा। अगर मुद्दालेह दावे को क़बूल न करे तो उससे कहा जायगा कि तुम अपने उज़्र या तो ज़बानी बयान करो या लिख कर पेश करो। अगर वह अपने उज़्र ज़बानी बयान करे तो अदालत उनका ख़ुलासा लिख लेगी।

कारवाई का तरीक़ा उस हाल में जब दोनों फ़रीक़ हाज़िर हों

मुक़द्दमे को इस ग़रज़ से मुलतवी कर दे कि मुद्दालेह बयान तहरीरी (यानी लिखा हुआ बयान) दाख़िल कर सके ॥

नालिश से दस्तबरदारी होना (हाथ उठा लेना)

दफ़ा ३४—अगर मुद्दई नालिश से दस्तबरदार होना (यानी हाथ उठा लेना) चाहे तो यह बात लिख कर गांव के मुंसिफ़ पर ज़ाहिर करदे। और गांव के मुंसिफ़ को लाज़िम होगा कि उस मुक़द्दमे को अपनी अदालत के मुक़द्दमों की फ़िहरिस्त या रजिस्टर से निकाल डाले। और जिस दावे की यह नालिश थी उसी की बाबत कोई और नई नालिश (फिर कभी) नहीं हो सकेगी ॥

नालिश का फ़ैसला हलफ़ पर या इक़रार सालिह पर (यानी ऐसे इक़रार पर जिसको इक़रार करनेवाला सच्चा बताये) कब हो सकता है

दफ़ा ३५—अगर दोनों में से कोई फ़रीक़ इस बात पर राज़ी हो कि नालिश का फ़ैसला किसी ऐसी क़िस्म के हलफ़ या इक़रार सालिह पर (यानी ऐसे इक़रार पर जिसको इक़रार करने वाला सच्चा बताये) कर दिया जाय जिसका लिहाज़ दूसरे फ़रीक़ पर वाजिब है और वह दूसरा फ़रीक़ इस बात पर राज़ी हो जाय और वैसा हलफ़ उठाले या वैसा इक़रार करे तो गांव के मुंसिफ़ को लाज़िम होगा कि उस हलफ़ या इक़रार के माफ़िक़ फ़ैसला करदे ॥

मुजराई (यानी मुद्दालेह का अपने किसी दावे को मुद्दई के दावे के मुक़ाबिले में पेश करना)

दफ़ा ३६—मुद्दालेह को अख़्तियार है कि किसी रक़म का दावा जो उसको वाजिबी तौर पर मुद्दई से पाना हो और जिसकी बाबत वह गांव की अदालत में नालिश कर सकता था (मुद्दई के दावे के मुक़ाबिले में) पेश करे। अगर मुद्दालेह का दावा साबित हो

जाय तो उस रक़म की डिगरी की जायगी जो (दोनों के दावों का हिसाब करके) आख़िर में किसी एक फ़रीक़ को दूसरे फ़रीक़ से पाना निकले ॥

दफ़ा ३०—जब मुद्दालेह का बयान पेश हो जाय तो अदालत इस बात की तहक़ीक़ात शुरू करेगी कि मुद्दई का दावा सच्चा है या नहीं और दोनों फ़रीक़ों के ऐसे गवाहों को जो हाज़िर न हों तलब करेगी ॥

जो गवाह हाज़िर न होंगे वे तलब किये (बुलाये) जायंगे

दफ़ा ३८—कोई ऐसा गवाह जो गाव की अदालत के हलक़े के अन्दर रहता हो ज़बानी या लिख कर तलब किया (बुलाया) जा सकता है। हर ऐसा गवाह जो अदालत के हलक़े से बाहर रहता हो सम्मन के ज़रिये से तलब किया (बुलवाया) जा सकता है। और उस सम्मन की तामील नीचे लिखे हुए तरीक़े से होगी—

गवाहों के नाम के सम्मनों की तामील किस तरह होगी

(१) उस हलक़े के गांव के मुंसिफ़ के ज़रिये से जिस में गवाह रहता हो। या

(२) अगर गवाह किसी गांव के मुंसिफ़ के हलक़े में न रहता हो तो उस ज़िले के मुंसिफ़ के ज़रिये से जिसके इलाक़े में गवाह रहता हो।

वह गांव का मुंसिफ़ या ज़िले का मुंसिफ़ उस सम्मन के आने पर उसकी तामील इस तरह से करायेगा जैसे उस हालत में कराता जब वह आप उस सम्मन को जारी करता। और फ़िर उस को उस गाव की अदालत में (जिसने सम्मन जारी किया है) उस की तामील की रिपोर्ट के साथ वापस भेज देगा ॥

दफ़ा ३६—सम्मन में उस शख़्स को जो तलब किया (बुलाया) जाय या तो यह हुक्म हो सकता है कि वह हाज़िर होकर गवाही दे या यह हुक्म हो सकता है कि कोई दस्तावेज़ पेश करे या पेश कराये ॥

सम्मन हाज़िरी और गवाही देने के लिये या दस्तावेज़ पेश करने के लिये होगा

दफ़ा ४०—नीचे लिखे हुए लोग तलब नहीं किये जायगे—

ऐसे लोगों का असा-
ल (यानी आप) अ-
दालत में हाज़िर होने
से माफ़ होना

(१) वे लोग जो उस गांव की अदालत के हलक़े से बाहर किसी ऐसी जगह रहते हो जो उस जगह से आठ मील से ज्यादा दूर हो जहा उस अदालत का गाव का मुंसिफ़ अपना इजलास करता हो। और

(२) ऐसी औरतें जिनको इस मुल्क के दस्तूर और रवाज के मुाफ़िक़ परदे से बाहर निकलवाना नहीं चाहिये। और

(३) वे लोग जो असालतन (यानी आप) अदालत में हाज़िर होने से माफ़ हैं। और

(४) हर ऐसा आदमी जिसको बीमारी या बदन की कमज़ोरी की वजह से हाज़िर होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। और

(५) वे लोग जिनको गवर्नमेंट ने इस ऐक्ट के बमूजिब गांव की अदालत में असालतन (यानी आप) हाज़िर होने से माफ़ कर दिया हो।

मगर जब किसी ऐसे शख़्स के इज़हार के लिये जाने की ज़रूरत हो जिसका हाल ज़िम्न (१) या (३) या (४) या (५) में लिखा है और वह शख़्स उस अदालत के हल्क़े में रहता हो तो गांव का मुंसिफ़ उस शख़्स का इज़हार उसके मकान पर लेगा।

बन्द सवाल (यह काग़ज़ जिसमें मुक़दमे के हाल पूछे जांय) कब जारी किया जायगा

दफ़ा ४१—(१) अगर कोई फ़रीक़ नालिश का यह चाहे कि किसी ऐसे गवाह की गवाही ली जाय जिसको असालतन (यानी आप) हाज़िर होने का हुक्म नहीं दिया जा सकता है और जो उस गांव की अदालत के हल्क़े से बाहर रहता हो तो गांव के मुंसिफ़ को अख़्तियार होगा कि अगर वह उसकी गवाही ज़रूरी समझे तो किसी ऐसे गवाह के इज़हार लिये जाने की ग़रज़ से बन्द सवाल (यानी वह काग़ज़ जिसमें लिख कर मुक़दमे के हाल पूछे जांय) बनाये और उसको एक ख़त (चिट्ठी) के साथ उस शख़्स को देदे या उसके पास भेज दे जिसको मुक़दमे के दोनों फ़रीक़ या गांव का मुंसिफ़ उस गवाह का इज़हार लिये जाने के लिये बतौर अहल कमीशन मुक़र्रर करें या करे। अगर वह अहल कमीशन जो इस तरह मुक़र्रर किया जाय इस काम के करने पर राज़ी हो तो उसको लाज़िम होगा कि जल्दी से उस गवाह का इज़हार बन्द सवाल के बमूजिब लेकर उसके जवाब उस अदालत को भेज दे जिसमें वह नालिश दायर है। हर ऐसे गवाह को जिसके इज़हार लेने का उस अहल कमीशन

को इस तरह अख़्तियार दिया गया हो लाज़िम होगा कि जब उस से वह अहल कमीशन इज़हार देने को कहे तो इज़हार दे। और इस दफ़ा की ग़रज़ के लिये उस अहल कमीशन की निस्बत यह समझा जायगा कि वह गाव का मुंसिफ़ है ॥

(२) अगर मुक़द्दमे के फ़रीक़ या गांव का मुंसिफ़ इस दफ़ा की ज़िम्न (१) के बमूजिब अहल कमीशन मुक़र्रर न करे या न करे या अगर वह शख़्स जो इस दफ़ा की ज़िम्न (१) के बमूजिब अहल कमीशन मुक़र्रर किया गया हो इस काम के करने से इनकार करे और वह गवाह किसी गांव के मुंसिफ़ के हलक़े में रहता हो तो गांव की अदालत को लाज़िम होगा कि बन्द सवाल उस गाव के मुंसिफ़ के पास भेजदे। और वह गाव का मुंसिफ उस गवाह के इज़हार उस बन्द सवाल के बमूजिब लेकर उसके जवाब उस अदालत मे भेज देगा जिसमे मुक़दमा दायर हो ॥

गवाहों का इज़हार लिया जाना

दफ़ा ४२—लाज़िम है कि गवाहों का इज़हार हल्फ़ से या इक़रार सालिह मे (यानी ऐसे इक़रार से जिसको इक़रार करनेवाला सच्चा बताये) लिया जाय। और जो कुछ वे बयान करे उसका असल मतलब गाव का मुंसिफ़ लिख ले ॥

मुल्तवी किया जाना मुक़दमे का इस उम्मेद से कि आपस में राज़ीनामा हो जायगा या किसी और वजह से

दफ़ा ४३—अगर इस बात की उम्मेद हो कि मुक़दमे के फ़रीक़ आपस मे राज़ी होकर (नालिश के) मामिले का आप ही फैसला कर लेंगे तो इस वजह से या किसी और काफ़ी वजह से गाव का मुंसिफ मुक़द्दमे का सुनना किसी पेशी तारीख तक मुल-तवी कर सकता है जो दोनो फ़रीक़ों का

मौजूदगी में मुक़र्रर की जाय या जब मुद्दालेह हाज़िर न आया हो तो मुद्दई की मौजूदगी में मुक़र्रर कीजाय। अगर उस तारीख़ पर जो इस तरह मुक़र्रर की जाय दोनों फ़रीक़ या कोई एक फ़रीक़ हाज़िर न हो तो गांव के मुंसिफ़ को अख़्तियार है कि उस नालिश का फ़ैसला उन तरीक़ों में से किसी एक तरीक़े के माफ़िक़ करे जो दफ़ा ९८ और दफ़ा ९९ में लिखे हैं। या कोई और ऐसा हुक्म दे जो वह मुनासिब समझे॥

मगर जब कोई फ़रीक़ यह बयान करे कि मैं ने दफ़ा ९८ के बमूजिब ज़िले के मुंसिफ़ को नालिश उठा लेने की दरख़ास्त दी है या ऐसी दरख़ास्त देना चाहता हूं और इस वजह से उस नालिश के मुलतवी होने की दरख़ास्त दे तो गांव के मुंसिफ़ को लाज़िम होगा कि उस नालिश की सुनाई (अपनी अदालत में) किसी ऐसी तारीख़ तक मुलतवी करदे जो दोनों फ़रीक़ों की हाज़िरी में मुक़र्रर कीजाय। अगर उस तारीख़ को यह मालूम हो कि नालिश उठा लेने की कोई दरख़ास्त ज़िले के मुंसिफ़ को नहीं दी गई तो गांव का मुंसिफ़ उस नालिश की सुनाई शुरू कर देगा। या अगर उस तारीख़ पर कोई एक या दोनों फ़रीक़ हाज़िर न हो तो गांव के मुंसिफ़ को अख़्तियार है कि उस नालिश का फ़ैसला उन तरीक़ों में से किसी तरीक़े के माफ़िक़ करे जो दफ़ा ९८ और दफ़ा ९९ में लिखे है। या कोई और ऐसा हुक्म दे जो वह मुनासिब समझे॥

बाब ६

डिगरी का और डिगरी के जारी करने का बयान

दफ़ा ४४—जब दोनों फ़रीक़ों या उनके मुख़्तारों के बयानों की

जब मुक़दमे की समाअत (मुनाई) हो चुकेगी तो अदालत डिगरी देगी

समाअत (मुनाई) हो जाय और दोनों तरफ़ के सबूत और गवाही पर ग़ौर हो जाय तो गाव की अदालत ऐसी डिगरी देगी जो मुनासिब और वाजिबी और ईमान्दारी के मुताबिक़ मालूम हो ॥

दफ़ा ४५—डिगरी में यह बातें लिखी जायगी—यानी नालिश

डिगरी में क्या क्या लिखा जायगा

का नम्बर और दोनों फ़रीक़ों के नाम और वह मामिला जिसका झगड़ा हो और जो उसका फ़ैसला किया गया हो और वे वजहें जिन से यह फ़ैसला किया गया हो । डिगरी में तफ़सील उस रुपये की जो दिलाया जाय और उस जायदाद मनकूला की जिसके हवाले करने का हुक्म हो और उस रुपये की तादाद की जो उस जायदाद के हवाले न करने से देना होगा और ख़रचे की तादाद लिखी जायगी । और यह भी लिखा जायगा कि कौन तथा फ़रीक़ कितना कितना ख़रचा अदा करेगा ॥

डिगरी में उस दिन को तारीख़ लिखी जायगी जब यह दी जाय और उस पर गाव का मुंसिफ़ अपने दस्तख़त करेगा । हर फ़रीक़ को यह हक़ होगा कि उसके दरख़ास्त करने पर उसको नक़ल डिगरी की दी जाय ॥

दफ़ा ४६—गांव के मुंसिफ़ को अख़्तियार है कि अपनी राय के माफ़िक़ नक़द रुपये की नालिशों में डिगरी के रुपये पर ऐसी शरह से जो छः रुपये सैकड़े सालाना से ज़्यादा न हो डिगरी की तारीख़ से अदा करने की तारीख़ तक सूद के दिये जाने का हुक्म डिगरी में लिखे॥

डिगरी में सूद अदा करने का हुक्म या यह हुक्म दिया जा सकता है कि डिगरी का रुपया क़िस्तों में अदा किया जाय

जब कोई गांव की अदालत नक़द रुपया अदा करने की डिगरी करे तो उसको यह हुक्म देने का अख़्तियार है कि वह रुपया क़िस्तों के ज़रिये से सूद समेत या बिला सूद अदा किया जाय। और उस सूद की शरह उस क़दर से ज़्यादा न होगी जो ऊपर लिखी है॥

दफ़ा ४७—लाज़िम है कि जब (इजराय डिगरी की) लिखी हुई दरख़ास्त गुज़रे तो वह गांव का मुंसिफ़ जिस ने वह डिगरी की हो डिगरी जारी करे या वह गांव का मुंसिफ़ या ज़िले का मुंसिफ़ जारी करे जिस के पास वह डिगरी जारी करने के वास्ते नीचे लिखे हुए हुक्मों के बमूजिब भेजी जाय॥

कौनसी अदालत डिगरी जारी कर सकती है

दफ़ा ४८—अगर डिगरी किसी ख़ास जायदाद मनक़ूला की बाबत हो तो वह इस तरह जारी की जा सकती है कि वह जायदाद क़ब्ज़े में ले लीजाय और डिगरीदार को हवाले कर दीजाय। अगर वह जायदाद ऐसी

किसी ख़ास जायदाद मनक़ूला की डिगरी किस तरह जारी की जायगी

दफ़ा ५०—गांव की अदालत की कोई डिगरी इस तरह जारी नहीं की जायगी कि डिगरी के देनदार को पकड़ा जाय या ग़ैर मनक़ूला जायदाद कुर्क़ की जाय। मगर जो कुछ दफ़ा ६७ और दफ़ा ६६ में लिखा है वह हो सकता है॥

कोई डिगरी का देनदार पकड़ा नहीं जायगा। और न ग़ैर मनक़ूला जायदाद कुर्क़ की जायगी

दफ़ा ५१—डिगरीदार की दरख़ास्त पर गांव की अदालत कोई ऐसी जायदाद मनक़ूला जो डिगरी के देनदार की उस अदालत के हलक़े के अन्दर हो और जिसकी निशानदिही डिगरीदार करे (यानी जो डिगरीदार बता दे) उतनी मालियत तक की जितना रुपया डिगरी की रू से अदा होना चाहिये कुर्क़ करेगी।

जायदाद मनक़ूला की कुर्क़ी

मगर ऐसी कुर्क़ी नीचे लिखी हुई जायदादों की नहीं होगी, यानी—

(१) ज़रूरी पहिनने के कपड़े और ओढ़ने बिछाने की चीज़ें डिगरी के देनदार और उसकी बीवी और बच्चों की।

(२) कारीगरों के औज़ार और अगर डिगरी के देनदार का पेशा खेती का हो तो उसके खेती करने के आलात (यानी हल वग़ैरः) और ऐसे मवेशी (ढोर) और ऐसा बीज का अनाज जिसकी कि ज़रूरत अदालत की राय में डिगरी के देनदार को इस लिये हो कि अपने खेती के पेशे से रोज़ी पैदा कर सके।

(३) हिसाब की वहियां।

(४) ऐसे वज़ीफ़े और इनाम जो फ़ौजी और मुल्की सरकारी पेंशन वालों को दिये जांय और पोलिटिकल पेंशनें।

(५) तनख़ाह किसी ओहदेदार सरकारी या रेलवे कम्पनी के या किसी हाकिम मुक़ामी (जैसे कि म्युनिसिपलिटी वग़ैर:) के नौकर को। सिवाय उस हालत के कि वह तनख़ाह बीस रुपये महीने से ज़्यादा हो और इस सूरत में वह तनख़ाह आधी कुर्क़ हो सकती है।

(६) तनख़ाह और भत्ता वग़ैर: उन लोगों का जिन से "इंडियन" † आर्टिकिल्स आफ़ वार (आईन लशकरी हिन्दुस्तानी यानी हिन्दुस्तानी फ़ौज का क़ानून) मुताल्लिक़ है। और

(७) मज़दूरी और घर का काम करने वाले नौकरों को मज़दूरी और तनख़ाह॥

जब जायदाद डिगरी के देनदार के क़ब्ज़े में हो तो उसकी क़ुर्की किस तरह की जायगी

दफ़ा ५२—अगर जायदाद डिगरी के देनदार के क़ब्ज़े में हो तो वह इस तरह कुर्क़ की जायगी कि वह क़ब्ज़ में ले ली जायगी और गाव के मुंसिफ़ को लाज़िम होगा कि उसके ख़बरदारी से रक्खे जाने का बन्दोबस्त कर दे। यह हो सकता है कि यह जायदाद

† लफ़्ज़ "नेटिव" की जगह लफ़्ज़ "इंडियन" बमूजिब दफ़ा १ ऐक्ट कौंसिल मुमालिक मग़रबी व शिमाली व अवध नम्बर २ सन् १८८४ ई० क़ायम किया गया॥

डिगरी के देनदार की हिफ़ाज़त में उस सूरत में छोड़ दी जाय जब उसका ज़ामिन लिखी हुई पूरी ज़मानत इस बात की दे कि जब हुक्म होगा वह उस जायदाद को पेश कर देगा। अगर ज़ामिन जायदाद को इस तरह पेश न करे तो (वह डिगरी उस ज़ामिन पर उस क़दर रुपये तक की बाबत) जारी की जा सकती है जो उस जायदाद की क़ीमत के बराबर हो जो पेश न की गई हो।

दफ़ा ५३—अगर जायदाद डिगरी के देनदार के क़ब्ज़े में न हो तो कुर्क़ी लिखी हुई नोटिस के ज़रिये से की जायगी जिस में उस शख़्स को जिसके क़ब्ज़े में वह जायदाद हो यह हुक्म दिया जायगा कि वह उस जायदाद को डिगरी के देनदार को न दे॥

अगर जायदाद डिगरी के देनदार के क़ब्ज़े में न हो तो उसकी कुर्क़ी किस तरह की जायगी

दफ़ा ५४—क़र्ज़े और ऐसा रुपया जो डिगरी के देनदार को पाना हो लिखी हुई नोटिस के ज़रिये से कुर्क़ किया जायगा जिसमें डिगरी के देनदार को यह हुक्म होगा कि गांव की अदालत का दूसरा हुक्म होने तक वह क़र्ज़ा वसूल न करे और न वह रुपया ले और उसके क़र्ज़दार को यह हुक्म होगा कि गांव की अदालत का दूसरा हुक्म होने तक वह क़र्ज़ा अदा न करे और न वह रुपया दे। इस दफ़ा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि इस से गांव की अदालत को यह अख़्तियार मिला है कि वह क़र्ज़ा के सिवा किसी जायदाद ग़ैर मनक़ूला पर भी कुर्क़ करे।

क़र्ज़े कैसे कुर्क़ किये जायगे

जो कर्ज़ और रुपया इस दफ़ा के बमूजिब कुर्क़ किया गया हो वह गांव की अदालत में दाख़िल किया जा सकता है और ऐसे दाख़िल कर देने से डिगरी के देनदार का क़रज़दार क़र्ज़े से और रुपये के देने से वैसे ही छूट जायगा जैसे कि डिगरी के देनदार को अदा कर देने से छूट जाता ॥

दफ़ा ४५—जब कुर्क़ी जायदाद को क़ब्ज़े में लेकर या लिखी हुई नोटिस के ज़रिये से कर ली गई हो तो कुर्क़ी के जारी रहने के ज़माने में कुर्क़ की हुई जायदाद का निज के तौर पर अलाहिदा करना, चाहे यह बय (यानी बेच डालने) या हिबा (यानी दे डालने) या गिरवी रखने या और ज़रिये से हो, और उस ज़माने में डिगरी के देनदार को क़र्ज़े का अदा करना ऐसे कुल दावों के मुक़ाबिले में नाजायज़ होगा जो उस कुर्क़ी की बुनियाद पर किये जा सकते हों ॥

कुर्क़ी के बाद निज के तौर पर जायदाद को अलाहिदा कर देना नाजायज़ होगा

दफ़ा ४६—अगर किसी ऐसी जायदाद की निस्बत जो इजराय डिगरी में कुर्क़ की जाय कोई दावा पेश हो या उस कुर्क़ी की निस्बत कोई उज़ुरदारी की जाय तो गांव की अदालत को लाज़िम होगा कि उस दावे या उज़ुरदारी की तहक़ीक़ात करे। और अगर यह पाया जाय कि डिगरी के देनदार को इस जायदाद में कोई हक़ क़ाबिल बय (यानी बेचने के क़ाबिल) नहीं है या यह कि यह उज़ुरदारी दुरुस्त है तो वह जायदाद कुर्क़ी से छोड़ दी जायगी ॥

ऐसे दावों की तहक़ीक़ात जो कुर्क़ की हुई जायदाद की बाबत हों

दफ़ा ५७—गांव की अदालत को लाज़िम होगा कि कुर्क़ी के बाद जितनी जल्द हो सके कोई ऐसी तारीख़ जो कुर्क़ी की तारीख़ से कम से कम पन्द्रह दिन बाद हो कुर्क़ की हुई जायदाद के नीलाम के लिये मुक़र्रर करे और यह भी लाज़िम होगा कि तजवीज़ किये हुए नीलाम का लिखा हुआ इश्तिहार अदालत के बाहर लगवा दे और इस नीलाम की ख़बर इस तरह भी मशहूर की जायगी कि नीलाम से पहले ढिंढोरा पिटवाया जायगा।

कुर्क़ की हुई जायदाद का ऐसी तारीख़ पर नीलाम होगा जो कुर्क़ी की तारीख़ से कम से कम पन्द्रह दिन बाद हो और नीलाम का इश्तिहार दिया जायगा और ढिंढोरा पिटवाया जायगा

मगर (१) डिगरी के देनदार की रज़ामन्दी से जो लिखी हुई हो या (२) उस हालत में जब कि कुर्क़ की हुई जायदाद ऐसी हो कि बहुत जल्द और आप से आप ख़राब हो जायगी या (३) जब यह अन्देशा हो कि उसके हिफ़ाज़त से रखने का ख़र्च उस की मालियत से बढ़ जायगा अदालत को अख़्तियार होगा कि ज़ाब्ते के मुआफ़िक़ ढिंढोरा पिटवा कर ख़बर देने के बाद कुर्क़ की हुई जायदाद को कुर्क़ी की तारीख़ से १५ दिन के अन्दर किसी वक़्त नीलाम कर दे। ऐसी सूरत में अदालत को लाज़िम होगा कि नीलाम का रुपया उन हुक्मों की पाबन्दी से अपने क़ब्ज़े में रक्खे जो आगे इस ऐक्ट में ऐसे रुपये के अदा किये जाने की बाबत लिखे हैं जो इजराय डिगरी में वसूल हो॥

दफ़ा ५८—उस तारीख़ पर जो नीलाम के लिये मुक़र्रर हो (कुर्क़ की हुई) जायदाद गांव के मुंसिफ़ के सामने बेचे जाने के लिये नीलाम पर चढ़ाई जायगी और सब से ज़्यादा बोली बोलनेवाले के हाथ बेच

नीलाम का तरीक़ा

बोली जायगी। लाज़िम होगा कि क़ीमत फ़ौरन अदा की जाय और अगर क़ीमत फ़ौरन अदा न की जाय तो जायदाद फिर नीलाम की जायगी ॥

नीलाम का रुपया अदा होने पर अदालत उसकी रसीद देगी और नीलाम क़तई (यानी पक्का) हो जायगा ॥

अगर फिर से नीलाम करने में कुछ नुक़सान होगा तो डिगरी-दार या डिगरी के देनदार की दरख़्वास्त पर वह नुक़सान का रुपया पहिले नीलाम के ख़रीदार से इस तरह वसूल के क़ाबिल होगा कि गोया उस पर उस रुपये की डिगरी हुई है ॥

नीलाम के मुलतवी करने का अख़्तियार

दफ़ा ५९—जिस नीलाम की निस्बत इस ऐक्ट के बमूजिब इश्तिहार दिया जाय वह अदालत की राय से किसी मुक़र्रर तारीख़ तक मुलतवी कर दिया जा सकता है और इस मुलतवी करने की आम इत्तिला उस तरीक़े से जो दफ़ा ५० में मुक़र्रर है कर दी जायगी ॥

गाय का मुंसिफ़ और दूसरे ओहदेदार [illegible]के की हुई जायदाद नीलाम में बोली बोलेंगे न उस को [illegible]देंगे

दफ़ा ६०—लाज़िम है कि कोई गाय का मुंसिफ़ या दूसरा ओहदेदार जिसके ज़िम्मे इस ऐक्ट के बमूजिब किसी नीलाम के मुताल्लिक़ कोई काम करना हो किसी जायदाद की निस्बत जो उसे नीलाम में बेची जाय आप या दूसरे के जरिये से बोली न बोले न उसमें कोई हक़ हासिल करे ॥

मौक़ूफ़ किया जाना नीलाम का जब क़र्ज़े का रुपया और ख़रचा पेश किया जाय

दफ़ा ६१—अगर किसी बोली बोलनेवाले के नाम नीलाम के ख़तम होने से पहिले वह रुपया जो डिगरी की रू से पाना है और नीलाम का ख़रचा गांव के मुंसिफ़ के सामने पेश किया जाय तो लाज़िम है कि वह नीलाम जायदाद का जो इस ऐक्ट के बमूजिब हो मौक़ूफ़ कर दिया जाय॥

नीलाम का रुपया किस किस काम में आयेगा

दफ़ा ६२—जो रुपया इजराय डिगरी से वसूल हो उसमें से सब से पहिले इजराय डिगरी का ख़रचा अदा किया जायगा और फिर वह रुपया अदा किया जायगा जो डिगरीदार को पाना हो। अगर कुछ और रुपया बच रहे तो वह डिगरी के देनदार को दे दिया जायगा॥

जो जायदाद क़ब्ज़े में लेली जाय वह नीलाम के ख़रीदार को देदी जायगी

दफ़ा ६३—जब वह जायदाद जो नीलाम की जाय ऐसी हो जो क़ब्ज़े में लेली गई हो तो वह जायदाद नीलाम के ख़रीदार को देदी जायगी॥

दूसरी सूरतों में जायदाद किस तौर से ख़रीदार को दी जायगी

दफ़ा ६४—जब वह जायदाद जिसका नीलाम किया गया हो डिगरी के देनदार के क़ब्ज़े में न हो बल्कि किसी और शख़्स के क़ब्ज़े में हो या ऐसा क़रज़ा हो जो किसी शख़्स से डिगरी के देनदार को पाना हो तो वह नीलाम के

ख़रीदार को इस तरह हवाले की जायगी या किया जायगा कि एक लिखी हुई नेाटिस (इत्तिला) उस शख़्स के नाम भेजी जायगी जिसकी रू से उसको यह हुक्म दिया जायगा कि वह उस जायदाद का क़ब्ज़ा या क़र्ज़े का रुपया सिवाय ख़रीदार के किसी को न दे और जो कुछ हक़ डिगरी के देनदार का उस जायदाद या उस क़र्ज़े में क़ुर्क़ी के वक़्त था वह नीलाम के ख़रीदार को हासिल हो जायगा ॥

डिगरी इजरा के लिये एक गांव के मुंसिफ़ के पास से दूसरे गांव के मुंसिफ़ या ज़िले के मुंसिफ़ के पास [भे]जी जा सकती है

दफ़ा ८५—(१) कोई ऐसी डिगरी जिसका पूरा इजरा उस गांव की अदालत से न हो सके जिसने वह डिगरी की हो, जब डिगरीदार उस गांव की अदालत में दरख़ास्त दे, किसी दूसरी ऐसी गांव की अदालत में जिसके हलक़े में डिगरी के देनदार की जायदाद मनक़ूला का होना बयान किया जाय इजरा के लिये भेजी जा सकती है। यह दूसरी अदालत ऐसी कारवाई करेगी जैसे कि यह डिगरी उसी ने की थी ॥

(२) कोई डिगरी जब डिगरीदार गांव की अदालत [द]रख़ास्त दे गांव की अदालत से ज़िले के मुंसिफ़ की अदालत [भे]जी जा सकती है और ज़िले का मुंसिफ़ उस डिगरी को उसी [ज]ारी कर सकता है जैसे कि वह डिगरी उसी ने की थी। [मी]मियाद समाअत के उस मामूली क़ानून की पाबन्दी करनी [य]ा ज़िले के मुंसिफ़ की अदालत की कारवाई की बाबत है ॥

मगर जो गांव की अदालत डिगरी को भेजे उसको ज़िले के मुंसिफ़ के पास यह वात तसदीक़ के तौर पर लिखनी होगी कि उस डिगरी का पूरा इजरा उस गांव की अदालत से या किसी दूसरे इलक़े की गांव की अदालत से नहीं हो सकता है ॥

जज ज़िला को अख़्तियार है कि किसी डिगरी के इजरा का मुक़दमा उठा ले

दफ़ा ६६—जज ज़िला को अख़्तियार है कि किसी डिगरी के इजरा का मुक़दमा किसी गांव की अदालत में से उठा ले और उसकी निस्वत उसी तरह कारखाई करे जैसे कि वह ऐसी डिगरी है जो जज ज़िला की अदालत में इजरा के लिये भेजी गई है। मगर मियाद समाअत के उस मामूली क़ानून को पावन्दी करनी होगी जो जज ज़िला की अदालत की कारखाई की वावत है ॥

गांव का मुंसिफ़ ऐसी डिगरी की वावत दरख़ास्त मंज़ूर न करेगा जो ज़िले के मुंसिफ़ की अदालत में भेजी गई हो या जिसको जज ने उठा लिया हो

दफ़ा ६७—गांव की अदालत को लाज़िम है कि जब कोई डिगरी ज़िले के मुंसिफ़ की अदालत में भेज दी गई हो या उसको जज ज़िला ने अपनी अदालत में उठा लिया हो तो उसकी निस्वत कोई दरख़ास्त मंज़ूर न करे ॥

बाब ७

मुतफ़र्रिक़ बातें

दफ़ा ९८—अगर किसी नालिश में डिगरी होने से पहिले मुद्द

अगर किसी मुक़द्दमे के फ़रीक़ के मरने के बाद दरख्वास्त की जाय ो उस मरे हुए शख़्स : जायज़ क़ायम मुक़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) का नाम मिसिल में दाखिल हो सकता है

या मुद्दालेह मर जाय तो दूसरे फ़रीक़ की दरख्वास्त पर या मरे हुए शख़्स के जा-यज़ क़ायम मुक़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) की दरख्वास्त पर उस मरे हुए शख़्स के जायज़ क़ायम मुक़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) का नाम उसकी जगह मिसिल में लिखा जा सकता है लेकिन किसी मरे हुए मुद्दालेह के जायज़ क़ायम मुक़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) पर कोई डिगरी ज़ाने से ज़्यादा की नहीं की जायगी जितना उसको मरे हुए ख़्स के तर्के से मिला हो और जिसका जायज़ तौर पर ख़र्च हो जाना साबित न कर दिया गया हो॥

दफ़ा ९९—अगर मुद्दई या मुद्दालेह के मरने की तारीख से

अगर कोई दरख्वास्त पेश न की जाय तो नालिश डिसमिस कर दी जायगी

९० दिन के अन्दर कोई ऐसी दरख्वास्त न दी जाय तो नालिश डिसमिस कर दी जायगी और इसी मामिले की निस्बत कोई नई नालिश दायर नहीं हो सकेगी।

दफ़ा ५०—अगर एक से ज़्यादा मुद्दई या मुद्दालेह हों और उनमें से कोई मर जाय और उसका क़ायम मुक़ाम उस तरह जैसे ऊपर लिखा है श· रीक न किया जाय तो नालिश की का· ररवाई ज़िन्दा मुद्दई या मुद्दइयों को द· रख़ास्त पर या ज़िन्दा मुद्दालेह या मु· द्दालेहों के मुक़ाबिले में जारी रक्खी जायगी ॥

अगर एक से ज़्यादा मुद्दई या मुद्दालेह हों तो नालिश ज़िन्दा मुद्दई या मुद्दालेह की दरख़ास्त पर या उसके मुक़ाबिले में क़ा· यम रहेगी

दफ़ा ५१—अगर डिगरीदार डिगरी का पूरा इजरा होने से पहिले मर जाय तो उसके जायज़ क़ायम मुक़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) को अख़्तियार होगा कि गांव की अदालत को यह दरख़ास्त दे कि मरे हुए शख़्स की जगह उसका नाम डिगरीदार के तौर पर क़ायम किया जाय। और अगर अदालत को डिगरी के देनदार को नोटिस यानी इत्तिला देने के बाद यह इतमीनान हो जाय कि दरख़ास्त देनेवाला मरे हुए शख़्स का जायज़ क़ायम मुक़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) है तो अदालत को लाज़िम होगा कि उसका नाम मिसिल में डिगरीदार के तौर पर लिख ले ॥

अगर डिगरीदार मर जाय तो उसके जायज़ क़ायम मुक़ाम (यानी वारिस वग़ैरः) का नाम उसकी जगह क़ायम हो सकता है

या न किया जायगा। जज ज़िला को अख़्तियार है कि उस अरज़ी के फ़ैसल होने के वक़्त तक डिगरी या हुक्म का इजरा मुलतवी कर दे। जज ज़िला को अख़्तियार है कि जो अरज़ी इस दफ़ा के बमूजिब हो उसको ३० दिन की मियाद के बाद उस सूरत में मंज़ूर करे जब उसको देर होने की उस वजह की निस्बत जो ज़ाहिर की जाय इतमीनान हो जाय॥

सिवाय उन सूरतों के जिन की निस्बत इस दफ़ा में हुक्म है गांव की अदालत की हर डिगरी और हुक्म क़तई होगी और होगा (यानी मंसूख़ नहीं हो सकता है)॥

फ़ीस (रसूम) जो इस ऐक्ट के बमूजिब ली जायगी

दफ़ा ७४—इस ऐक्ट के बमूजिब नीचे लिखे हुए कामों के लिये फ़ीस (रसूम) ली जा सकती है—

(१) उस रजिस्टर में जिसका हुक्म दफ़ा ९ में है (क) नालिश का चढ़ाना और (ख) इजराय डिगरी की दरख़ास्त का चढ़ाना।

(२) (क) मुद्दालेह या गवाह के नाम सम्मन जारी करना।

(ख) दफ़ा ३२ के बमूजिब नोटिस (इत्तिलानामा) जारी करना।

(ग) दफ़ा ५३ या ५४ या ६४ के बमूजिब नोटिस (इत्तिलानामा) जारी करना ।

(घ) दफ़ा ५० या ५६ के बमूजिब नीलाम का इश्तिहार जारी करना और ढिंढोरा पिटवाना ।

(३) डिगरियों और दूसरे काग़ज़ों की नक़लें देना ।

(४) दफ़ा ४८ या ५१ के बमूजिब जायदाद मनक़ूला को क़ब्ज़े में लाना और क़ुर्क़ करना ।

(५) दफ़ा ५० या ५८ के बमूजिब नीलाम करना ॥

गवर्नमेंट को लाज़िम होगा कि ऐसे क़ायदे बनाये जिनमें यह लिखा हो कि फ़ीस (रसूम) कितनी कितनी ली जायगी और कैसे खर्च की जायगी ॥

डाक का महसूल

दफ़ा ७५—जब किसी सम्मन या नोटिस (इत्तिलानामा) या और काग़ज़ पर जो कोई गांव की अदालत इस ऐक्ट के बमूजिब जारी करे और डाक से भेजे डाक का महसूल लेना वाजिब हो तो वह महसूल और उसकी रजिस्टरी का महसूल उसके भेजे जाने से पहिले अदा करना होगा ॥

दफ़ा ७६—"गवर्नमेंट" † को अख़्तियार है कि जब जब मुनासिब समझे गांव की अदालतों में काम आने के लिये नमूने मुक़र्रर करे और ऐसे नक़शे जो गांव की अदालतों को भेजने हुआ करेंगे मुक़र्रर करे। और गवर्नमेंट गांव की अदालतों की मिसिलों (काग़ज़ों) की हिफ़ाज़त और उनके फाड़ने के लिये क़ायदे बना सकती है। जज ज़िला हर वक़्त गांव की अदालतों के रजिस्टर और मिसिलें तलब करके उन का मुआइना कर सकता है॥

"गवर्नमेंट" † का अख़्तियार नमूनों (और नक़शों) और क़ायदों के मुक़र्रर करने का और जज ज़िला का अख़्तियार काग़ज़ात के मुआइने का

दफ़ा ७७—गवर्नमेंट को अख़्तियार है कि पहिले (मसौदा) छाप कर और इस शर्त से कि जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल मंज़ूर करलें ऐसे क़ायदे जो इस ऐक्ट के ख़िलाफ़ न हों नीचे लिखी हुई सब या किसी बातों की निस्बत बनाये, यानी—

गवर्नमेंट क़ायदे बना सकती है

(१) इस बात की निस्बत कि आम तौर से कितना रक़बा और कितने आदमी किसी गांव के मुंसिफ़ की मुंसिफ़ी के इलाक़े में होने चाहियें। और हलक़ों के बनाये जाने की निस्बत।

(२) उस मियाद की निस्बत जिसमें गांव के मुंसिफ़ अपने ओहदे (मुंसिफ़ी) पर रहेंगे।

---

† लफ़्ज़ "हाईकोर्ट" की जगह लफ़्ज़ "गवर्नमेंट" बमूजिब दफ़ा २ ऐक्ट कौंसिल मुमालिक मग़रबी व शिमाली व अवध नम्बर २ सन् १८९४ ई० क़ायम किया गया॥

तजवीज़ कर सकती ॥

ऐसी नालिशों की तजवीज़ और ऐसी डिगरियों के जारी करने की काररवाई इस तरह की जायगी जिस तरह उन नालिशों और डिगरियों की की जाती जो उसी अदालत दीवानी में दायर होतीं और उसी अदालत दीवानी से की जातीं ॥

मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी और मुफ़स्सिलात के ऐक्ट अदालतहाय मतालिबा ख़फ़ीफ़ा और ऐक्ट रसूम अदालत का मुतालिक़ न होना

दफ़ा ८०—(१) मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी उन नालिशों और काररवाइयों से मुतालिक़ न होगा जो ऐसी गांव की अदालतों में हों जो इस ऐक्ट के बमूजिब क़ायम की जांय ॥

(२) जो गांव की अदालतें इस ऐक्ट के बमूजिब क़ायम की गई हैं उन के उस अख़्तियार पर कि वे कौन सी नालिशें सुनाई कर सकती हैं मुफ़स्सिलात के ऐक्ट अदालतहाय मतालिबा ख़फ़ीफ़ा सन् १८८७ ई॰ के किसी हुक्म का कुछ असर नहीं पहुंचेगा ॥

(३) जो अर्ज़ीदावा या अर्ज़ी या दरख़ास्त ऐसी गांव की अदालत में जो इस ऐक्ट के बमूजिब क़ायम की गई हो पेश की जाय या जो और काग़ज़ ऐसी अदालत का हो उसकी बाबत ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई॰ के बमूजिब कुछ फ़ीस न ली जायगी ॥

नम्बर ९१० / ०—५४० (बो) / १ बाबत सन् १८८४ ई०

इश्तिहार

जुडिशल डिपार्टमेंट (सिविल)

१० सितम्बर सन् १८८४ ई०

उस अख़्तियार से जो मुमालिक मग़रबी व शिमाली (पश्चिमोत्तर देश) और अवध को गांव की अदालतों के ऐक्ट (नम्बर ३ सन् १८८२ ई०—जिसको दुरुस्ती ऐक्ट नम्बर २ सन् १८८४ ई० से हुई) की दफ़ा ७८ के मुताबिक़ मिला है जनाब नव्वाब लेफ़्टिनेंट गवर्नर व चीफ़ कमिश्नर बहादुर नीचे लिखे हुए क़ायदे उन नमूनों के लिये जो गांव की अदालतों में काम आवेंगे और उन नक़्शों के लिये जिनका भेजना उन अदालतों को ज़रूरी होगा और उन अदालतों के काग़ज़ों के रखने और फाड़ने के लिये जारी करते हैं—

१—मुक़द्दमों की क़िस्में नीचे लिखी जाती हैं—

(१) नालिशों की कारवाई फ़ैसले तक ॥

(२) मुतफ़र्रिक़ मुक़द्दमे, यानी—

(क) दरख़ास्तें जिन के लिये दफ़ा ३० और ३१ में हुक्म है।

(ख) दावे या उज़ुरदारियां दफ़ा ४६ की ॥

(३) इजराय डिगरी की दरख़ास्तें ॥

२—हर मुक़दमे की सिर्फ़ एक मिस्ल बनाई जायगी। और उस मिस्ल में उस मुक़दमे के सब काग़ज़ दाख़िल किये जायंगे यानी अर्ज़ीदावा या दरख़ास्त, बयान तहरीरी और दरख़ास्तें फ़रीक़ैन या गवाहों की, अदालत की कारवाई और हुक्म, फ़रीक़ैन के बयान या उनके गवाहों के बयान का ख़ुलासा, दाख़िल की हुई दस्तावेज़ें या काग़ज़, दूसरी अदालतों के हुक्म जो आवें, बंद सवाल, समन, इत्तिलानामा, डिगरियां, और हुक्म, वग़ैरह वग़ैरह ॥

३—हर एक मिस्ल के कुल काग़ज़ों पर नम्बर सिलसिलेवार डाले जायंगे ॥

४—हर एक मिस्ल के पहले सफ़े पर एक फ़िहरिस्त नीचे लिखे हुए नमूने की लगाई जायगी—

(क)—मुक़दमे की तफ़सील

(१) नाम अदालत	(६) तारीख़ फ़ैसले की
(२) नम्बर मुक़दमा	(७) नम्बर और तारीख़ दूसरे ऐसे मुक़दमों के फ़ैसलों की, अगर कोई हों, जिनसे इस मुक़दमे को ताल्लुक़ है
(३) नाम फ़रीक़ैन	
(४) मुक़दमे की क़िस्म	
(५) तारीख़ दायर होने की	

(ख)—मिस्ल के काग़ज़ों की फ़िहरिस्त

नम्बर सिलसिलेवार काग़ज़ों का जो दाख़िल किये गये हैं	तफ़सील काग़ज़ों की जो दाख़िल किये गये हैं	नम्बर सफ़ों का जिनमें यह काग़ज़ मिलेगा

५—गांव के मुंसिफ़ को चाहिये कि ता: १ फ़र्वरी और १ मई और १ अगस्त और १ नवम्बर को या उससे पहले कुल मुक़द्मो की मिस्लों को जो गुज़श्ता सिमाही में जिनका अख़ीर दिन ३१ दिसम्बर और ३१ मार्च और ३० जून और ३० सितम्बर या फ़ैसल हुए हों उस अदालत मुंसिफ़ी में भेज दिया करें जो सब से नज़दीक़ हो। गांव के मुंसिफ़ को यह भी चाहिये कि मिस्लों के साथ अपनी दस्तख़ती एक चालान भेज दें जिसमें कुल मिस्लों की तादाद और मुद्क़मों के हर क़िस्म की भी तादाद जो भेजी जांय लिखी हो॥

याददाश्त—गांव के मुंसिफ़ को चाहिये कि ऐसी नालिश की मिस्ल न भेजा करें जिसमें एक तरफ़ा डिगरी हुई हो या जो डिसमिस हो गई हो अगर ऐसी डिगरी या डिसमिसी की निस्बत दफ़ा ३० या ३१ के मुताबिक़ दरख़ास्त पेश हुई हो और मिस्लों के भेजे जाने तक उस दरख़ास्त का फ़ैसला न हुआ हो॥

६—मुंसिफ़ की अदालत के मुंसरिम को चाहिये कि अगर चालान सही हो तो उस पर अपने दस्तख़त कर दे और उसको गाव के मुंसिफ़ के पास लौटा दे। अगर वह चालान ग़लत हो तो मुंसरिम उन मिस्लों की रसीद लिखेगा जो वाक़ई उसके पास पहुंचीं और जो ग़लती उस चालान में हो उसकी रिपोर्ट जज ज़िला के पास हुक्म होने के लिये करेगा॥

७—मुंसिफ़ ज़िला उन मिस्लों को ज़िले की अदालत में उस क़ायदा से भेजेंगे जो उनकी अदालत की मिस्लों के भेजने के लिये बना है॥

५—गांव के मुंसिफ़ को चाहिये कि ता: १ फ़र्वरी और १ मई और १ अगस्त और १ नवम्बर को या उससे पहले कुल मुक़द्दमों की मिस्लों को जो गुज़श्ता सिमाही में जिनका आख़ीर दिन ३१ दिसम्बर और ३१ मार्च और ३० जून और ३० सितम्बर था फ़ैसल हुए हों उस अदालत मुंसिफ़ी में भेज दिया करें जो सब से नज़दीक हो। गांव के मुंसिफ़ को यह भी चाहिये कि मिस्लों के साथ अपनी दस्तख़ती एक चालान भेज दें जिसमें कुल मिस्लों की तादाद और मुक़द्दमों के हर क़िस्म की भी तादाद जो भेजी जाय लिखी हो॥

याद्दाश्त—गांव के मुंसिफ़ को चाहिये कि ऐसी नालिश की मिस्ल न भेजा करें जिसमें एक तरफ़ा डिगरी हुई हो या जो डिसमिस हो गई हो अगर ऐसी डिगरी या डिसमिसी की निस्बत दफ़ा ३० या ३१ के मुताबिक़ दरख़ास्त पेश हुई हो और मिस्लों के भेजे जाने तक उस दरख़ास्त का फ़ैसला न हुआ हो॥

६—मुंसिफ़ की अदालत के मुंसरिम को चाहिये कि अगर चालान सही हो तो उस पर अपने दस्तख़त कर दे और उसको गांव के मुंसिफ़ के पास लौटा दे। अगर वह चालान ग़लत हो तो मुंसरिम उन मिस्लों की रसीद लिखेगा जो वाक़ई उसके पास पहुंचीं और जो ग़लती उस चालान में हो उसकी रिपोर्ट जज ज़िला के पास हुक्म होने के लिये करेगा॥

७—मुंसिफ़ ज़िला उन मिस्लों को ज़िले [illegible] उस
क़ायदा से भेजने के [illegible]

याददाश्त—इस रजिस्टर को ठीक तौर पर रखने के लिये नीचे लिखी हुई हिदायतें उसके पहले सफ़े पर चिपकाना चाहिये—

१—हर साल ३१ दिसम्बर को रजिस्टर इस तरह से बन्द करना चाहिये कि आख़ीर सफ़े पर एक लकीर खींच दी जाय। और एक नया नम्बर सिलसिले का ता: १ जनवरी को शुरू किया जाय। जो नालिशें उस तारीख़ पर फ़ैसले से बाक़ी रहें उनको नये बरस के रजिस्टर में उठा देनी चाहिये और लाल रोशनाई से लिखना चाहिये और उनके नम्बर इस तरह डालना चाहिये— १ २ ३ / ३१ २५ ३१। इन नम्बरों में २१ और २५ और ३१ पिछले बरस की दायर नालिशों के वही नम्बर हैं जो उस बरस के रजिस्टर में चढ़े थे। अगर गांव के मुंसिफ़ किसी नालिश के फ़ैसले के बाद दफ़ा ३० या ३१ के मुताबिक़ नये सिर से कारवाई करें तो उन की निस्बत भी नम्बर इसी तरह से लिखे जांयगे॥

२—ख़ाना ६ में नालिश की क़िस्म इस तरह लिखनी चाहिये कि नीचे लिखी हुई क़िस्मों में से किस क़िस्म की नालिश है—(क) लिखा हुआ क़ौल क़रार (ख) ज़बानी क़ौल क़रार (ग) हिसाब पर (घ) बिके हुए माल की क़ीमत पर (ङ) मज़दूरी काम और मसाले के लिये (च) मकानों के किराये की बाबत (छ) माल मनक़ूला या उसकी मालियत के लिये (ज) हरजे के लिये (झ) दूसरी नालिशें नक़द रुपये या माल मनक़ूला के लिये॥

३—ख़ाना ६ में नीचे लिखी हुई बातों में से जो वाजिब हो लिखनी चाहिये—

रजिस्टर नम्बर १

——————गांव के मुंसिफ़ की अदालत

रजिस्टर दीवानी की नालिशों का बाबत सन्———— ई०

नालिश का नम्बर	तारीख़ दायर होने की	किस तरह दायर हुई (क) पहले से दायर हुई (ख) दफ़ा ३० या ३१ के मुताबिक़ फिर से कारवाई हुई	नाम मुद्दई और उसके बाप का नाम और ज़ात वग़ैरह और रहने की जगह	नाम मुद्दाअलैह और उसके बाप का नाम और ज़ात वग़ैरह और रहने की जगह	नालिश की क़िस्म	तादाद जिसका दावा किया गया या मालियत जायदाद मनक़ूला जिस पर दावा किया गया	फ़ैसले की तारीख़	किस तरह फ़ैसला हुआ	रक़म जिसकी डिग्री हुई या मालियत जायदाद जिस पर डिग्री हुई	डिग्री का खुलासा	मुताबिक़ डिग्री की दरख्वास्त देने की तारीख़	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३

यादद्दाश्त—इस रजिस्टर को ठीक तौर पर रखने के लिये नीचे लिखी हुई हिदायतें उसके पहले सफ़े पर चिपकाना चाहिये—

१—हर साल ३१ दिसम्बर को रजिस्टर इस तरह से बन्द करना चाहिये कि आखीर सफ़े पर एक लकीर खींच दी जाय। और एक नया नम्बर सिलसिले का ता: १ जनवरी को शुरू किया जाय। जो नालिशें उस तारीख़ पर फ़ैसले से बाक़ी रहें उनको नये बरस के रजिस्टर में उठा देनी चाहिये और लाल रोशनाई से लिखना चाहिये और उनके नम्बर इस तरह डालना चाहिये— $\frac{१}{२१}$ $\frac{२}{२५}$ $\frac{३}{३१}$। इन नम्बरों में २१ और २५ और ३१ पिछले बरस की दायर नालिशों के वही नम्बर हैं जो उस बरस के रजिस्टर में चढ़े थे। अगर गांव के मुंसिफ़ किसी नालिश के फ़ैसले के बाद दफ़ा ३० या ३१ के मुताबिक़ नये सिर से कारवाई करें तो उन की निस्बत भी नम्बर इसी तरह से लिखे जायंगे॥

२—ख़ाना ६ में नालिश की क़िस्म इस तरह लिखनी चाहिये कि नीचे लिखी हुई क़िस्मों में से किस क़िस्म की नालिश है—(क) लिखा हुआ क़ौल क़रार (ख) ज़बानी क़ौल क़रार (ग) हिसाब पर (घ) बिके हुए माल की क़ीमत पर (ङ) मज़दूरी काम और मसाले के लिये (च) मकानों के किराये की बाबत (छ) माल मनक़ूला या उसकी मालियत के लिये (ज) हरजे के लिये (झ) दूसरी नालिशें नक़द रुपये या माल मनक़ूला के लिये॥

३—ख़ाना ६ में नीचे लिखी हुई बातों में से जो वाजिब हो लिखनी चाहिये—

(१) मुंसिफ़ ज़िला ने ख़ुद अपनी अदालत में उठाली (दफ़ा १८)।

(२) अर्ज़ी दावा नामंज़ूर हुआ (दफ़ा २९)।

(३) नालिश में दस्तबरदारी की गई (दफ़ा ३४)।

(४) नालिश डिसमिस हुई (दफ़ा ६६)।

(५) डिगरी एकतरफ़ा हुई (दफ़ा २०)।

(६) नालिश मुद्दई की ग़ैरहाज़िरी से डिसमिस हुई (दफ़ा २८)।

(७) डिगरी इक़बाल पर हुई (दफ़ा २६ और ३३)।

(८) राज़ीनामा हो गया (दफ़ा ३३)।

(९) हलफ़ पर फ़ैसला हो गया (दफ़ा ३५)।

(१०) तजवीज़ मुद्दई के हक़ में कुल या हिस्से की बाबत हुई।

(११) तजवीज़ मुद्दालेह के हक़ में हुई॥

४—ख़ाना ११ में डिगरी का मज़मून इस लिये लिखना चाहिये कि अगर नालिश की मिस्ल मुंसिफ़ ज़िला के पास भेज दी गई हो तो डिगरी की तसदीक़ी नक़ल बनी रहे और जब डिगरीदार इजराय डिगरी की दरख़ास्त दे तो वह देख ली जाय। अगर इन हिदायतों के मुताबिक़ ख़बरदारी से काम किया जाय तो सालाना नक़्शे जिनका मुंसिफ़ ज़िला के पास हर साल १५ जनवरी को या उस से पहले भेजा जाना ज़रूर है सहल तरह से तैयार हो सक्ते हैं॥

१०—इन क़ायदों के साथ जो नमूने नम्बर १ से ६ तक दिये हैं उनको गांव की अदालतें ज़रूरत के मुताबिक़ काम में लावेंगी। छपे हुए नमूने गांव के मुंसिफ़ ज़िले के कलक्टर से ले सक्ते हैं॥

११—कलक्टर और असिस्टंट कलक्टर जब कभी मौक़ा मिले गांव के मुंसिफ़ों के रजिस्टर और मिस्लों को जांच किया करेंगे और अपनी हर जांच का नतीजा एक रजिस्टर में लिखा करेंगे जिसको गांव के मुंसिफ़ रक्खेंगे॥

१२—हर एक बरस के ख़तम होने पर गांव के मुंसिफ़ को चाहिये कि सालाना काम के तीन नक़शे जो नीचे लिखे हैं १५ जनवरी को या उससे पहले उस ज़िले के मुंसिफ़ की अदालत में भेज दें जिसके इलाक़े के भीतर उन की अदालत हो। मुंसिफ़ को चाहिये कि इन नक़शों के पहुंचने पर उनको जज ज़िला के पास इस लिये भेजें कि वह अदालत दीवानी के सालाना नक़शों में जो हाईकोर्ट में भेजे जाते हैं दाख़िल हो जांय। जज ज़िला को चाहिये कि इन नक़शों की एक नक़ल उस ज़िले के कलक्टर के पास भेजें जिसमें उस गांव की अदालत का इजलास होता हो॥

१३—गांव के मुंसिफ़ को चाहिये कि जब कोई रजिस्टर ख़तम हो जाय तो तीन बरस बाद उस रजिस्टर को उस अदालत में भेज दें जिसमें वह अपनी मिस्लें भेजा करते हैं। जो रजिस्टर इस तरह भेजे जांयगे उन सब की निस्बत वह अदालत जिसमें वह रजिस्टर पहुंचेंगे वही बर्ताव करेगी जो अपने उसी क़िस्म के रजिस्टर की निस्बत किया करती है॥

१०—इन क़ायदों के साथ जो नमूने नम्बर १ से ६ त
हैं उनको गांव की अदालतें ज़रूरत के मुताविक़ काम
वेंगी। छपे हुए नमूने गांव के मुंसिफ़ ज़िले के कलक्टर-
सक्ते हैं॥

११—कलक्टर और असिस्टेंट कलक्टर जब कभी मौक़ा
गांव के मुंसिफ़ों के रजिस्टर और मिस्लों को जांच किया
और अपनी हर जांच का नतीजा एक रजिस्टर में लिखा
जिसको गांव के मुंसिफ़ रक्खेंगे॥

१२—हर एक वरस के ख़तम होने पर गाव के मुंसिफ़
चाहिये कि सालाना काम के तीन नक़शे जो नीचे लिखे हैं
जनवरी को या उससे पहले उस ज़िले के मुंसिफ़ की अदाल
में भेज दें जिसके इलाक़े के भोतर उन की अदालत हो। मुंसि
को चाहिये कि इन नक़शों के पहुंचने पर उनको जज ज़िला
पास इस लिये भेजें कि वह अदालत दीवानी के सालाना नक़श
में जो हाईकोर्ट में भेजे जाते हैं दाखिल हो जांय। जज ज़िल
को चाहिये कि इन नक़शों की एक नक़ल उस ज़िले के कलक्ट
के पास भेजें जिसमें उस गाव की अदालत का इजलास होता हो।

१३—गाव के मुंसिफ़ को चाहिये कि जब कोई रजिस्टर
ख़तम हो जाय तो तीन वरस बाद उस रजिस्टर को उस अदा-
लत में भेज दें जिसमें वह अपनी मिस्लें भेजा करते हैं। जो
रजिस्टर इस तरह भेजे जायगे उन सब की निसबत वह अदा-
लत जिसमें वह रजिस्टर पहुंचेंगे वही वर्ताव करेगी जो अपने
उसी क़िस्म के रजिस्टर की निसबत किया करती है॥

१०—इन क़ायदों के साथ जो नमूने नम्बर १ से ६ तक दि
हैं उनको गांव की अदालतें ज़रूरत के मुताबिक़ काम में ल
वेंगी। छपे हुए नमूने गांव के मुंसिफ़ ज़िले के कलक्टर से
सक्ते हैं॥

११—कलक्टर और असिस्टंट कलक्टर जब कभी मौक़ा मिले
गांव के मुंसिफ़ों के रजिस्टर और मिस्लों को जांच किया करें
और अपनी हर जांच का नतीजा एक रजिस्टर में लिखा करें
जिसको गांव के मुंसिफ़ रक्खेंगे॥

१२—हर एक बरस के ख़तम होने पर गांव के मुंसिफ़ को
चाहिये कि सालाना काम के तीन नक़्शे जो नीचे लिखे हैं १५
जनवरी को या उससे पहले उस ज़िले के मुंसिफ़ की अदालत
में भेज दें जिसके इलाक़े के भीतर उन की अदालत हो। मुंसि
को चाहिये कि इन नक़्शों के पहुंचने पर उनको जज ज़ि
पास इस लिये भेजें कि वह अदालत दीवानी के सालाना
में जो हाईकोर्ट में भेजे जाते हैं दाखिल हो जांय। जज
को चाहिये कि इन नक़्शों की एक नक़ल उस ज़िले के क
के पास भेजें जिसमें उस गाव की अदालत का इजलास होता

१३—गांव के मुंसिफ़ को चाहिये कि जब कोई रजि
ख़तम हो जाय तो तीन बरस बाद उस रजिस्टर को उस अ
लत में भेज दें जिसमें वह अपनी मिस्लें भेजा करते हैं।
रजिस्टर इस तरह भेजे जांयगे उन सब की

सालाना नक़शा नम्बर २

तादाद उन नालिशों की जो उस बरस के भीतर जो ३१ दिसम्बर सन् १६   ई० को खतम हुआ गाव के मुंसिफ़ की अदालत——परगना——तहसील——ज़िला——में दायर हुई

लिखा हुआ क़ौल क़रार	ज़बानी क़ौल क़रार	हिसाब पर	बिके हुए माल की क़ीमत के लिये	मज़दूरी और काम और मसाले के लिये	मकान के किराये के लिये	माल मनक़ूला या उसकी मालियत के लिये	हुण्डी के लिये	दूसरी नालिश नक़द रुपये या माल मनक़ूला के लिये	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

सालाना नक़शा नम्बर ३

तादाद और मालियत उन नालिशों की जो गाव के मुंसिफ़ की अदालत——परगना——तहसील——ज़िला——में उस बरस के भीतर दायर हुई जो ३१ दिसम्बर सन् १६   ई० को ख़तम हुआ

रुपये की तादाद	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	मीज़ान	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७

माहाना नक़्शा नम्बर २

तादाद उन नालिशों की जो उस बरस के भीतर जो ३१ दिसम्बर सन् १९   ई० को ख़तम हुआ गांव के मुंसिफ़ की अदालत——परगना——तहसील——ज़िला——में दायर हुईं

लिखा हुआ कौल क़रार	ज़बानी कौल क़रार	हिसाब पर	बिके हुए माल की क़ीमत के लिये	मज़दूरी और काम और मसाले के लिये	मकानों के किराये के लिये	माल मनक़ूला या उसकी मालियत के लिये	हर्जे के लिये	दूसरी नालिशें नक़द रुपये या माल मनक़ूला के लिये	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

माहाना नक़्शा नम्बर ३

तादाद और मालियत उन नालिशों की जो गांव के मुंसिफ़ की अदालत——परगना——तहसील——ज़िला——में उस बरस के भीतर दायर हुईं जो ३१ दिसम्बर सन् १९   ई० को ख़तम हुआ

दस रुपये तक की	बीस रुपये तक की	पचास रुपये तक की	सौ रुपये तक की	दो सौ रुपये तक की	मीज़ान	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७

नमूने

नम्बर १

समन बनाम मुद्दालेह

(गांव की अदालतों के ऐक्ट सन् १८६२ ई० की दफ़ा २४)

नम्बर नालिश ——————

—————— गांव के मुंसिफ़ की अदालत

बनाम ——————

——————

जोकि (यहां मुद्दई का नाम और बाप का नाम और ज़ात और रहने की जगह और पता लिखना चाहिये) ने तुम्हारे नाम इस अदालत में नालिश (यहां दावे की तफ़सील लिखना चाहिये) दायर की है, इस लिये इस समन के मुताबिक़ तुमको हुक्म दिया जाता है कि इस अदालत में खुद या मुख़्तार के ज़रिये से तारीख़ —— महीना —— सन् १६ ई० को वक़्त —— ऊपर लिखे हुए मुद्दई की नालिश की जवाबदिही के लिये हाज़िर हो। तुमको चाहिये कि जिन गवाहों और काग़ज़ों पर तुम अपनी जवाबदिही करना चाहते हो उनको अपने साथ लाओ। अगर तुम ऊपर लिखी हुई तारीख़ को हाज़िर न होगे तो तुम्हारी ग़ैरहाज़िरी में नालिश सुनी जायगी और फ़ैसला होगा॥

तारीख़ —— महीना —— सन् १६ ई०

गांव के मुंसिफ़ ——

नाम उस आदमी का जिसने समन की तामील की ——

तारीख़ और तामील का तरीक़ा ——

नम्बर २

समन, बनाम गवाह

(गांव की अदालतों के ऐक्ट सन् १८९२ ई० की दफ़ा ३०)

नालिश का नम्बर——————

——————गांव के मुंसिफ़ की अदालत

(क० ख०) बनाम (ग० घ०)

बनाम——————————————

——————————————

इस समन से तुमको हुक्म दिया जाता है कि तुम खुद इस अदालत में तारीख़——महीना——सन् १९ ई० को वक़्त—————— इस नालिश में गवाही देने और——————————————

——————————————

——————पेश करने के लिये हाज़िर हो

——————

गांव के मुंसिफ़

तारीख़——महीना——सन् १९ ई०

नाम उस आदमी का जिसने समन की तामील की——————

तारीख़ और तामील का तरीक़ा——————

नम्बर ३

वारंट कुर्की जायदाद मनकूला जो मुद्दाअलेह के क़ब्ज़े में हो (नक़द रुपये की इजराय डिगरी के इवज़ में)

(गांव की अदालतों के ऐक्ट सन् १८९२ ई० की दफ़ा १२)

——————गांव के मुंसिफ़ की अदालत

बनाम अमीन अदालत

जोकि——————को इस अदालत की डिगरी मुअर्रिख़ा ——————महीना——————सन् १६ ई० के ज़रिये से जो नालिश नम्बर——————महीना——————सन् १६ ई० में हुई थी यह हुक्म दिया गया था कि मुद्दई को) रुपये हाशिये में लिखी हुई तफ़सील के मुताबिक़ अदा करे और जो कि वे) रुपये अदा नहीं किये गये। इस लिये तुमको यह हुक्म दिया जाता है कि उस——————की जायदाद मनक़ूला जिसकी तफ़सील इस वारंट के शामिल की फ़र्द में लिखी गई है या जिस की निशानदिही तुमको यह—— करे सिवाय इस के कि वह ——तुमको वे) रुपये और इस कुर्क़ी के ख़र्चे की बाबत) रुपये अदा कर दे अपने क़ब्ज़े में रख एक तक रक्खो जब तक यह अदालत दूसरा हुक्म न दे।

डिगरी			
असल रुपया			
सूद का रुपया			
ख़र्चा			
डिगरी का ख़र्चा			
डिगरी के ख़र्चे का सूद			
मीज़ान कुल			

तुमको यह भी हुक्म दिया जाता है कि इस वारंट को तारीख़ — महीना—————सन् १६ ई० को या उस से पहले इसकी तामील पर उस तारीख़ को और उस तारीख़ की तस-दीक़ कि जिसके मुताबिक़ यह जायदाद कुर्क की गई या यह सबब लिखके कुर्क़ी क्यों नहीं की गई लिख कर लौटा दो।

अदालत की मुहर

तारीख़ महीना ———— सन् १९ ई०

————————
जज के दस्तख़त

नम्बर ४

कुर्की इत्तमाम डिगरी की हालत में

(म ३ की ज़ाब्ता के ऐक्ट सन् १८८२ ई० की दफ़ा २७२)

[हुक्म इम्तनाई (रोकने का हुक्म) उस सूरत में जब कि जायदाद जिसकी कुर्की मंज़ूर की गई माल मनकूला हो जिस पर मद्यूनुलिह का हक़ है सिर्फ़ क़ब्ज़े का हक़ उस वक़्त किसी दूसरे आदमी को है।

बनाम ————————

जो कि ———————— ने उस डिगरी का रुपया जो ———— तारीख़ —— महीना सन् १९ ई० की ———— के रूप में) रुपये की हुई थी अदा नहीं किया है। इस लिये हुक्म होता है कि मद्यूनुलिह इस अदालत के दूसरे हुक्म होने तक ———— के नीचे लिखे हुए माल के लेने से जो उस ———— के क़ब्ज़े में है यानी ———————— जिसका मद्यूनुलिह उस ———————— के किसी दावे की पाबन्दी के साथ मुस्तहक़ है इस हुक्म के मुताबिक़ उस के लेने से रोका जाता है और मना किया जाता है। और यह ———————— उस वक़्त तक कि इस अदालत से दूसरा हुक्म न हो उस माल को किसी और आदमी

——————गांव के मुंसिफ़ की अदालत

बनाम अमीन अदालत

जोकि——————को इस अदालत की डिगरी मुअर्रिख़ा ——————महीना——सन् १९ ई० के ज़रिये से जो नालिश नम्बर——————महीना——————सन् १९ ई० में हुई थी यह हुक्म दिया गया था कि मुद्दई को) रुपये हाशिये में लिखी हुई तफ़सील के मुताबिक़ अदा करे और जो कि वे) रुपये अदा नहीं किये गये। इस लिये तुमको

डिगरी			
असल रुपया			
सूद का रुपया			
ख़र्चा			
डिगरी का ख़र्चा			
डिगरी के ख़र्चे का सूद			
मीजान कुल			

यह हुक्म दिया जाता है कि उस——————की जायदाद मनक़ूला जिसकी तफ़सील इस वारंट के तालीक़ की फ़र्द में लिखी गई है या जिस को निशानदिही तुमको यह करे सिवाय इस के कि यह ——————तुमको से) रुपये और इस हुक्मी के ख़र्चे की) [illegible]

———————
गांव के मुंसिफ़

तारीख़———महीना————————सन् १६ ई०

नम्बर ६

नीलाम का इश्तिहार

(गांव की अदालतों के ऐक्ट सन् १८८२ ई० की दफ़ा ५७)

————गांव के मुंसिफ़ की अदालत

नालिश दीवानी नम्बर————————बाबत सन् १६ ई०

(क० ख०) बनाम (ग० घ०) रहने वाले————

इस हुक्म के मुताबिक़ इश्तिहार दिया जाता है कि कुर्क़ की हुई जायदाद का नीलाम आम जो ऊपर लिखे हुए मुद्दा-लेह की मिल्कियत है और जिसकी तफ़सील नीचे की फ़िह-रिस्त में दर्ज है) रुपये की इजराय डिगरी की इल्लत में किया जायगा ॥

नीलाम————————बजे दिन को तारीख़——— महीना———सन् १६ ई० को मुक़ाम———में होगा ॥

जायदाद की फ़िहरिस्त

लाट	तफ़सील
१	
२	
वग़ैरह	

(दस्तख़त)

———————
गांव के मुंसिफ़

तारीख़———महीना————सन् १६ ई०

या आदमियों को चाहे वह कोई हो या हो हवाला करने से इस हुक्म के मुताबिक़ मना किया जाता है और रोका जाता है।

गांव के मुंसिफ़

तारीख——महीना——सन् १६ ई०

नम्बर ४

कुर्की इजराय डिगरी की हालत में

(गांव की अदालतों के ऐक्ट सन् १८८९ ई० की दफ़ा ५४)

[हुक्म इम्तनाई (रोकने का हुक्म) उस सूरत में जब कि जायदाद ऐसा क़र्ज़ा हो जिसकी बाबत कोई दस्तावेज़ क़ाबिल ख़रीद फ़रोख़्त के न हो]

बनाम——

जो कि——ने एक डिगरी का रुपया जो——
पर तारीख——महीना——सन् १६
ई० को नालिश दीवानी नम्बर——सन् १६ ई० मे
——के हक़ में)
रुपये की हुई थी अदा नहीं किया है। इस लिये यह हुक्म दिया जाता है कि इस अदालत के दूसरे हुक्म होने तक मुद्दालेह तुम से यह क़र्ज़ा जिसकी निस्बत यह बयान किया गया है कि इस वक़्त तुम से उस मुद्दालेह को पाना है यानी——
——वसूल करने से बाज़ रहे सो इस हुक्म के मुताबिक़ वह रोका और मना किया जाता है। और यह भी हुक्म दिया जाता है कि तुम——इस अदालत के दूसरे हुक्म होने तक उस क़र्ज़े को या उसके किसी हिस्से को किसी आदमी को चाहे वह कोई हो मत दो। और इस हुक्म के मुताबिक़ तुम मना किये और रोके जाते हो॥

गांव के मुंसिफ़

तारीख़———महीना———सन् १६ ई०

नम्बर ६

नीलाम का इश्तिहार

(गांव की अदालतों के ऐक्ट सन् १८६२ ई० की दफ़ा ५०)

———गांव के मुंसिफ़ की अदालत

नालिश दीवानी नम्बर———बाबत सन् १६ ई०

(क० ख०) बनाम (ग० घ०) रहने वाले———

इस हुक्म के मुताबिक़ इश्तिहार दिया जाता है कि कुर्क की हुई जायदाद का नीलाम आम जो ऊपर लिखे हुए मुद्दा-लेह की मिल्कियत है और जिसकी तफ़सील नीचे की फ़िह-रिस्त में दर्ज है) रुपये की इजराय डिगरी की इल्लत में किया जायगा ॥

नीलाम———बजे दिन को तारीख़——— महीना———सन् १६ ई० को मुक़ाम———में होगा ॥

जायदाद की फ़िहरिस्त

लाट	तफ़सील
१	
२	
वग़ैरह	

(दस्तख़त)

गांव के मुंसिफ़

तारीख़———महीना———सन् १६ ई०

नम्बर ०

हुक्म इमतनाई (रोकने का हुक्म) इस बारे में कि जो क़र्ज़ा इजराय डिगरी की इल्लत में नीलाम हो यह नीलाम लेने वाले के सिवाय किसी और को अदा न किया जाय ॥

(गांव की अदालतों के ऐक्ट सन् १८८२ ई० की दफ़ा ६४)

गांव के मुंसिफ़ की अदालत

नालिश दीवानी नम्बर———— बाबत सन् १६ ई०

(क० ख०) बनाम (ग० घ०) रहने वाले————

बनाम (ग० घ०) ———— और बनाम (ङ० च०) ————

जो कि (छ० ज०) ने नीचे लिखी हुई फ़िहरिस्त में जो जायदाद और क़र्ज़ें दर्ज हैं उनको उस नीलाम आम में ख़रीद कर लिया है जो ऊपर लिखी हुई नालिश की डिगरी की बाबत किया गया, इस लिये हुक्म होता है कि तुम (ग० घ०) उस जायदाद और क़र्ज़ों को लेने से मना किये जाओ, सो इस हुक्म के मुताबिक़ तुम इस जायदाद और क़र्ज़ों के लेने से रोके जाते हो और तुम (ङ० च०) उस जायदाद और क़र्ज़ों को सिवाय (छ० ज०) के किसी और आदमी को सौंपने या देने से रोके जाओ सो इस हुक्म से रोके जाते हो ॥

फ़िहरिस्त

तफ़सील उस जायदाद की जो (ग० घ०) की मिल्कियत है और (ङ० च०) के क़ब्ज़े में है	तादाद उन क़र्ज़ों की जो (ङ० च०) को देने हैं और (ग० घ०) को पाने हैं

तारीख़ ———— महीना ———— सन् १६ ई०

(दस्तख़त) ————

गांव के मुंसिफ़

इश्तहार

नम्बर $\frac{९१५}{७—५४० (बी)}$

१८ सितम्बर सन् १८८४ ई०

उस अख़्तियार से जो मुमालिक मग़रबी व शिमाली (पश्चिमोत्तर देश) और अवध की गांव की अदालतों के ऐक्ट सन् १८८२ ई० की दफ़ा ७४ के मुताबिक़ हासिल है जनाब नव्वाब लेफ़्टिनेंट गवर्नर और चीफ़ कमिश्नर बहादुर नीचे लिखे हुए क़ायदे बाबत रसूम जो दफ़ा ७४ के मुताबिक़ देनी चाहिये और बाबत उस के ख़र्च के जारी करते हैं ॥

१—रसूम जो इस ऐक्ट के मुताबिक़ ली जा सक्ती है नीचे लिखी है—

नम्बर		वाजिब रसूम
(१)—किसी नालिश या इजराय डिगरी की दरख़ास्त को उस रजिस्टर में दर्ज करने के लिये जो दफ़ा ७ के मुताबिक़ बनाया जायगा	जब तादाद या मालियत झगड़े की या डिगरी की दस रुपये से ज़ियादा न हो	≶)
	जब वह तादाद या मालियत दस रुपये से ज़ियादा हो	I)

नम्बर		वाजिब रसूम
(२)—समन या नोटिस (इत्तिलानामा) दफ़ा २४ या ३२ या ३० या ५३ या ५४ या ६४ के मुताबिक़ जारी करना	जब समन या नोटिस एक आदमी पर या एक से ज़ियादा ऐसे आदमियों पर तामील किया जाय जो दूसरे दूसरे गांवों में रहते हों	≠) बाबत हर आदमी के
	अगर समन या नोटिस एक से ज़ियादा आदमियों पर जो एक ही गांव में रहते हों तामील किया जाय	=) पहले आदमी की बाबत और ‹) बाबत हर एक और आदमी के
(३)—नीलाम का इश्तिहार दफ़ा ५० या ५६ के मुताबिक़ जारी करना	.. ..	≠)
(४)—किसी डिगरी या और दस्तावेज़ की नक़ल देना	.. ..	≠)
(५)—जायदाद मनक़ूला पर दफ़ा ४८ या ५१ के मुताबिक़ क़ब्ज़ा करना और उसको क़ुर्क़ करना	.. ..	≠)
(६)—दफ़ा ५० या ५८ के मुताबिक़ नीलाम करना	.. ..	।)

२—जो रसूम क़ायदा १ के मुताबिक़ वसूल की जाय उस का वह हिस्सा जो गाव के मुंसिफ़ तजवीज़ करें नीचे लिखे हुए कामो में लगाया जायगा—

(क)—उजरत उस आदमी की जो मिस्ल या रजिस्टर या समन या नोटिस या इश्तिहार या किसी दस्तावेज़ के लिखने और ऐसी दस्तावेज़ों की नक़लों के तैयार करने के लिये मुक़र्रर किया जाय जिनकी ज़रूरत हो।

(ख)—उजरत उस आदमी की जो समन और नोटिसों की तामील करने या माल की कुर्की और नीलाम और हवाला करने के लिये मुक़र्रर किया जाय।

(ग)—क़ीमत काग़ज़ क़लम सियाही रजिस्टर या नमूने जिन की ज़रूरत हो॥

३—एक रजिस्टर बाबत रसूम जो लगाई जाय नीचे लिखे हुए नमूने के मुताबिक़ रक्खा जायगा—

नालिश या इजराय डिगरी की दरख़ास्त का नम्बर और क़िस्म	रसूम जो लगाई गई	रसूम किस तरह से ख़र्च की गई
१	२	३

P No 4412—11 1 1905 —1505—P.D